SHRI K.C. TYAGI: Sir, one second.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, no. That is enough. There is no discussion on that. It is not a discussion on the...

श्री के.सी. त्यागी : सर, एक्सप्लॉएटेशन में और लूट में क्या फर्क है?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am not an expert. I am not a linguist. I am not an expert.

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Sir, the word 'loot' owes its origin to Hindi and Sanskrit. 'Loot' is not an English word.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is not a discussion on that subject. I am not an expert in languages. I am nobody to give a judgment on that. I already said that even my own decisions are subjective; they may not be objective. However, I will try my level-best to be objective.

SHRI P. RAJEEVE (Kerala): After revisiting all these words, I request the Chairman that Rajya Sabha should publish a new book which comprises the words containing Parliamentary and un-Parliamentary words.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is a suggestion and that can be looked into.

SHRI SITARAM YECHURY: There, you have to fix the time-limit, Sir.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have to continue with the discussion on the working of the Ministry of Women and Child Development. The time allotted is five hours. Already 33 minutes are consumed. In any case, we are not going to allow even a minute more. Therefore, every Member is requested to adhere to his party time. Hon. Member, Shri Satish Chandra Misra was speaking earlier and he may continue now. But, since he is an initiator, he has a little more time. But I ask him to be brief.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA (Uttar Pradesh): Sir, I will try to be as brief as I can today. Yesterday, I was speaking about the category of vulnerable women. But, today I would start with children. If we see children in this country, we have 43 crore children who are between 0-18 years of age. देश में 45 करोड़ बच्चे ऐसे हैं, जो जीरो से अठारह साल की उम्र के हैं। ऐसी स्थिति में इन बच्चों के बारे में हम लोगों को और खासतौर से इस मंत्रालय को गंभीरता से देखने की जरूरत है कि इन बच्चों के अपलिफ्टमेंट के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए, इनकी देखभाल के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, क्योंकि

इस नेशन को बनाने वाले यही बच्चे होते हैं। इसलिए इसको बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है। इस बारे में डा. बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कहा, in the Constitution where he says with respect to woman and child both; while framing the Constitution he has taken care of this and it fits in today more properly. He says that the best religion in the world is one which teaches liberty, equality and fraternity. These are undoubtedly true in today's context, especially in the context of children and women. Dr. Ambedkar, while framing the Constitution, had even ensured to bring forth at least four specific Articles to take care of this category of people, specially. In Article 15, he provided that there shall not be any discrimination on the basis of caste or on the basis of religion and on the basis of sex. But, at the same time, in the very same Article, he provided that you can discriminate positively in favour of women. For doing so, he makes a special provision enabling the States to make affirmative discrimination in favour of women and children under which the Government can pass special laws for women and children. Sir, this we should take note of. Dr. Bhimrao Ambedkar took special care, while making fundamental rights, to provide for a provision to say that there shall not be any discrimination. He said, affirmative discrimination laws should be framed, can be framed by the States in favour of women and children.

In Article 42, he further provides that the State can make provisions for ensuring just and humane conditions of work for women and maternity relief. This is also contained in Article 42 which is the second provision which is specifically dealing with women. Thereafter, Article 45 requires the Government to endeavour to provide early childhood care and education for all children below six years. Now, above all, the Constitution imposes a fundamental duty on every citizen, through article 51A(e) to renounce practices derogatory to the dignity of women.

Sir, yesterday, when I was referring to the television channels and also the soap operas which are going on therein, and especially a celebrity hero giving a nude picture and posters being made thereof, I said that this should be taken seriously by the Government. The Government itself should take the initiative and take action against such things. If the Government is silent, then, the message goes differently. यह मैसेज जाता है कि हां, आप कर सकते हैं, आप तो सेलिब्रिटी हैं। वैसे आप बड़े भारी सोशल वर्कर बनते हैं और अपनी फिल्म चलाने के लिए आपको पैसा कमाना है आजकल जब फिल्म बनती है, तो उसके बाद फिल्म को केवल इस बात से क्रेडिट दिया जाता है कि उसने दो सौ करोड़ कमा लिया या तीन सौ करोड़ कमा लिया। यह क्रेडिट दिया जाता है। The money does not go to the poor people. It goes into the pockests of those who are producing the film. तो इसको देखने की जरूरत है। जब आई.पी.सी. में प्रोविज़न प्रोवाइड किया गया है, Section292(A)an d

[Shri Satish Chandra Misra]

Section 294 of the IPC, there is a specific provision that this is an offence, and this is prohibited. और इस प्रोहिबिशन के अगेन्स्ट में एक्शन होना चाहिए, उसमें तीन साल की सज़ा है, सज़ा दी जानी चाहिए, लेकिन कौन एक्शन लेगा? इसमें गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, मिनिस्ट्री को आगे आना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए पैनल्टी इम्पोज़ करनी चाहिए, फाइन इम्पोज़ करना चाहिए। जो आमदनी इनकी इस फिल्म से हो रही है, जिसमें इस तरह की चीज़ दिखा रहे हैं, समाज को इस तरह से दूषित कर रहे हैं, तो उसको इम्पाउंड कर लेगा चाहिए, उस पैसे को भी अपने कब्जे में लेकर सोशल वेलफेयर में लगाना चाहिए, चाहे वह तीन सौ करोड़ कमाए, चाहे चार सौ करोड़ कमाए। इस पर ध्यान देने की जरूरत है और इसको देखकर अगर कानून में किसी बदलाव की जरूरत है, फिल्म और टेलीविजन के बारे में, तो गवर्नमेंट को उसे कंसिडर करना चाहिए और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर से मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें इस पर जरूर ध्यान देकर, अपने सजेशन्स देकर इसको एनफोर्स कराने की कोशिश करनी चाहिए।

महोदय, कंस्टीट्यूशन में डा. भीमराव अम्बेडकर जी ने जितने भी लॉज़ प्रोवाइड किए हैं, उनका सही इंप्लिमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी देखने की जरूरत है। आज देश में उनका सही इंप्लिमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज भी देश में दहेज प्रथा खत्म नहीं हुई है, कानून तो बन गए, लेकिन दहेज प्रथा अभी भी चल रही है। लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। आज जब लड़की पैदा होती है, तो शुरू से ही लोगों के दिमाग में परेशानियां आने लगती हैं। इसको कैसे पालेंगे, कहां से दहेज लाएंगे? इस तरह की अनेकों चीजें उनके दिमाग में आती हैं, तो इस तरह की मानसिकता बदलनी पड़ेगी। इसके लिए आपको gender sensitization करना पड़ेगा। जो male children हैं, जो लड़के हैं, उनको भी पढ़ाई करानी पड़ेगी, उनको भी समझाना पड़ेगा। स्कूल से ही उनको gender sensitization करना पड़ेगा और जो लड़कियां हैं, उनके बारे में उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। उस सोच को बदलने के लिए जो भी आवश्यक है, वह करने की जरूरत है, जिससे कि आगे चलकर जब मानसिकता बदलती है, वे उस मानसिकता में न आएं और उनको यह ध्यान रहे कि ये हमारी मां-बहन और बेटी की तरह हैं और अगर ऐसा है, तो हमें उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा करने की जरूरत है।

महोदय, इसके साथ-साथ बाल-विवाह, भ्रूण हत्या और बलात्कार ये सबसे बड़ी समस्याएं आज इस देश में हैं। बाल-विवाह को रोकने के लिए अनेकों कानून बने हुए हैं, लेकिन कई लोग इसको अच्छे तरीके से पिक्चराइज करते हैं। तो टेलीविजन में यह दिखाने के बजाय कि बाल-विवाह हो रहा है और उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसकी जगह अगर हम लोग रि वर्स दिखाएं, तो शायद कुछ डिफरेंट टाइप की एजुकेशन मिले, लेकिन अफसोस यह है कि आज जब हम लोग टेलीविजन सीरियल्स देखते हैं, तो बाल-विवाह को पहले तो खराब दिखाते हैं, फिर पिक्चराइज़ करके उसको अच्छा दिखा देते हैं। हमें इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि बाल-विवाह को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं और जो लोग बाल-विवाह के लिए फोर्स करते हैं, उनको एन्फोर्समेंट के द्वारा पनिश किया जाए। भ्रूण हत्या क्यों होती है? वह इसलिए होती है, क्योंकि एक मानसिकता रहती है कि कहीं लड़की तो पैदा नहीं होगी? और अगर लड़की

पैदा होने वाली है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको पहले ही मार दिया जाता है। गर्भ में भी अगर लड़की की हत्या होती है, तो यह भ्रूण हत्या भी एक हत्या ही है। इसके लिए पनिशमेंट बढ़ाकर अगर हम लोग इसको हत्या के equivalent ले जाएं, तो शायद लोगों के मन में थोड़ा सा डर पैदा हो और डर के साथ-साथ हमें लोगों को यह भी शिक्षित करना पड़ेगा कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, लड़कियां हमसे एक कदम आगे बढ़ सकती हैं। लड़कियों के अंदर वह शक्ति है, जो शायद पुरुषों में नहीं है। आज शायद हम लोगों को जरूरत है ऐसी लड़कियों की, जो लोगों को रास्ता दिखा सकें। उनके पास डेवलपमेंट की शक्ति है, उनके पास मेंटेनेंस की शक्ति है। उन्हें प्रभु ने एक अलग तरह की शक्ति दी है, जो शायद मर्दों को नहीं दी। मर्द तो खाली अपनी मर्दानगी वहां दिखा सकते हैं जहां उन्हें नहीं दिखानी चाहिए और जहां एक्चुअली दिखानी होती है, वहां वे कहते हैं कि सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा था, उसमें यह हत्या पकड़ ली गयी है, उसमें एक्शन पकड़ लिया गया है। फिर यहां पर आकर होम मिनिस्टर साहब बयान दे देंगे कि देखिए, हमने बहुत जल्दी एक्शन ले लिया, सी.सी.टी.वी. कैमरा लगा हुआ था, उसके तहत हमने यह एक्शन लिया और जिसने घटना को अंजाम दिया, उसे पकड़ लिया। बात यह नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि एक्शन हो ही क्यों रहा है, यह इंसिडेंट होने ही न पाए, हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमें इस तरह की योजना बनानी चाहिए कि इंसिडेंट होने से पहले हम उसे कैसे रोकें। आज प्रदेश में और देश में जो पुलिस है, सबको मालूम है कि चालीस परसेंट जो एक्शंस होते हैं, चाहे वे हत्या के हों, लूट के हों या बलात्कार के हों, इसमें उन्हें छोड़ने और छुड़वाने का पुलिस करती है और ज्यादातर मामलों में पुलिस को पहले से ही ज्ञान होता है कि यहां पर यह-यह कार्यवाही होने वाली है, इसलिए वे वहां से लोग हट जाते हैं। हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए, इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए, जहां पर जो lawenforcementagencies हैं, अगर वे गलती करती हैं, अगर उनके क्षेत्र में इस तरह का कोई एक्शन होता है तो उन्हें सजा दी जाए। उन्हें खाली सस्पेंड कर देने से या ट्रांसफर कर देने से काम चलने वाला नहीं है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे दूसरी जगह ट्रांसफर होकर जाएंगे, सस्पेंशन को कोर्ट से रुकवा लेंगे और उसके बाद फिर दूसरी जगह एक्शन करने का काम करेंगे। इसलिए उन पर कोई punitive एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर penal एक्शन होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, इस बात की सख्त जरूरत है। यह तभी हो सकता है, जब, जो वे कर रहे हैं, चाहे वे प्रदेश हों या देश हो, उन्हें अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए सही मायने में enforcement करना चाहिए। अगर enforcement करने की ताकत होगी, अगर निडर होकर enforcement किया जाएगा, किसी का पक्षपात किए बगैर enforcement किया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि कानून-व्यवस्था नहीं संभल सकती। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है। बहन मायावती जी की पांच साल की सरकार रही। किस तरह से वहां पर जो कानून-व्यवस्था पहले बिगड़ी हुई थी, महिलाएं घर से निकलने में डरती थीं, घर से बाहर निकलने में हिचकती थीं, बच्चे नहीं निकलते थे, लड़कियां नहीं निकलती थीं, लेकिन पांच साल में जो सरकार बहन मायावती जी ने चलाई, उसमें चाहे उन्हें अपने ही मेंबर्स या मंत्रियों को जेल भेजना पड़ा, उन्होंने उन्हें जेल भेजा, लेकिन कानून के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया, उन्होंने उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। उसी का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में भी मायावती जी का जो कानून का राज है, उसको मान रहे हैं। आज जो उत्तर प्रदेश की बहन-बेटियां हैं, वे बहन मायावती जी के राज को याद कर रही हैं, जब वे सुरक्षित थीं अभी रक्षा बंधन का मौका था, उस मौके पर सब लोग अपनी बहन से राखियां

[Shri Satish Chandra Misra]

बंधवाते हैं। हम लोग भी बहन मायावती जी के पास राखी पर गए, हम हर बार वहां राखी बंधवाने जाते हैं, लेकिन वहां पर सिलसिला जरा सा उलटा चलता है। वहां पर जो प्रदेशवासी हैं, वे बहन मायावती जी को राखी बांधने का काम करते हैं क्योंकि आप हमारी रक्षा कर रही हैं, आप हमारी सुरक्षा कर रही हैं, आप प्रदेशवासियों की सुरक्षा कर रही हैं।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh) : Shame on them. *..(Interruptions)...*

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : बिल्कुल सही बात है। Shame on such people who are of this category, जिन्हें आज सुरक्षा देने की जगह सुरक्षा लेने की जरूरत पड़ती है। जया जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं। आज इसी तरह की जरूरत है, आज झांसी की रानी की तरह की मर्दानगी की जरूरत है। आज ऐसे मर्दों की जरूरत नहीं है जो अपनी बहन बेटियों को लुटते हुए देखें।

SHRIMATI JAYA BACHCHAN : I object to this word 'mardangi'. झांसी की रानी को 'मर्दानगी' कहना, I object to this word, Sir. I am sorry, Misra*ji*. *...(Interruptions)...* I am extremely sorry for doing this.

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : सर, इसकी जगह जो शब्द जया जी कहें, आप उसे इसमें incorporate कर दीजिएगा। वह हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं कि झांसी की रानी ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादव (बिहार) : उसकी जगह बहादुरी कर दीजिए।

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : 'बहादुरी' शब्द कर दें या अन्य कोई उचित शब्द कर दें। जया जी पहले जया भादुड़ी थीं, आप उसे 'बहादुर' शब्द कर दीजिए, तब ठीक रहेगा, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। जो हमारा कहने का मकसद है, वह शायद आप भी समझ गयी हैं और सदन भी समझ रहा है कि झांसी की रानी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं। आज देश और प्रदेश को इस तरह के लोगों को जरूरत है, जिनके रहते लोग स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें, हमारी बहन-बेटियां स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें। ऐसा न हो क वे लोग परेशान होकर प्रदेश छोड़ने की बात करने लगें, जैसा आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसी के साथ बच्चों का सवाल है, जैसा मैंने कहा कि इस देश में 43 करोड़ बच्चे हैं, जो 0 से लेकर 18 वर्ष तक की उम्र के हैं। उनके बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है। कांस्टीट्यूशन में अमेंड करके राइट टू एजुकेशन लाया गया है और 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन कम्पलसरी कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि इन बच्चों को एजुकेशन दी जाए। मैंने अभी पढ़ा कि कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि यह फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोग ऐसा प्रोविजन लाएं कि जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जा सके, उनको कम्पलसरी एजुकेशन दी जा सके। एजुकेशन के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर बच्चे एजुकेट नहीं होंगे, तो वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कांस्टीट्यूशन को राइट टू एजुकेशन के संबंध में अमेंड किए हुए एक-डेढ़ वर्ष हो चुका है, लेकिन उसको हम अभी तक इंप्लिमेंट नहीं कर पा रहे हैं। इसके बारे में बजट में भी कोई खास प्रावधान नहीं किया गया है जिससे कि इसको इंप्लिमेंट किया जा सके। आज इसकी बहुत सख्त जरूरत है। इसको एनफोर्स करने के लिए, जो भी फंड की जरूरत है, उसका इंतजाम केन्द्र की सरकार को जरूर करना चाहिए।

जो बच्चे वर्किंग वुमेन के हैं, जो गरीब वुमेन के बच्चे हैं, उनके बारे में खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है। उनको किस तरह से पढ़ाया जाए, उनका किस तरह से रिहेबिलिटेशन किया जाए, इसके बारे में देखने की जरूरत है। बच्चे कई establishments में काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में काम कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं है कि चाइल्ड लेबर एक्ट के prohibition के बावजूद भी सारे देश में बच्चे काम कर रहे हैं। वे कम उम्र में काम कर रहे हैं, चाहे establishments हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे चाय की दुकानें हों, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, डोमेस्टिक चाइल्ड वर्कर्स हों, स्ट्रीट वेंडर्स हों, वहां पर इनको काम करना पड़ रहा है और private establishments, जो कि dangerous hazardos establishments कहलाते हैं, वहां पर भी बच्चे काम करते हैं। जो सरकार के आंकड़े हैं, उनके हिसाब से लगभग एक करोड़ 25 लाख बच्चे 06 से 14 साल की उम्र के हैं, जो उनमें काम कर रहे हैं और अपना जीवन खराब कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के बारे में आपको सोचने की जरूरत है। उनको क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि कई जगह पर parents मजबूरी में अपने बच्चों से वहां पर काम करा रहे हों, लेकिन उसके बारे में व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए प्रोविजन करना चाहिए, जिससे कि ऐसे बच्चों को फोर्स करके उनके parents उनसे काम न लें या एम्पलायमेंट न दिलवाएं और ऐसी जगह पर न दिलाएं जहां एक करोड़ 25 लाख बच्चे आज hazardous work में लगे हुए हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है, हम सब के लिए शर्म की बात है और इस देश के लिए शर्म की बात है। यही पीढ़ी है जो आगे चलकर देश को बनाने का काम करेगी। ये हम लोगों की जगह यहां पर होंगे। अगर हम उनके लिए सुविधा नहीं दे सकते हैं, तो इसके मायने यह है कि जो हम लोगों को काम दिया गया है, उसमें हम लोग पूरी तरह से फेल हो रहे हैं।

आज sex ratio decline होता जा रहा है, girl child ratio decline होता जा रहा है और बहुत ही alarming तरीके से decline हो रहा है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जीरो से छह साल की उम्र में 12 प्वाइंट का decline हो गया है, जो कि 2001 में 927 प्रति 1000 था, वह आज घटकर 914 प्रति 1000 हो गया है, 914 लड़कियां और 1000 लड़के का ratio रह गया है। जहां तक पंजाब की बात है, वहां तो और भी alarming स्थिति है। वहां पर तो 832 लड़कियां 1000 लड़कों में हैं। इस तरह से वहां पर decline हो रहा है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा किसलिए हो रहा है? ऐसा पंजाब और हरियाणा दोनों में हो रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is very alarming and very serious.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: It is 832, as against 1000. Therefore, we should look into this. If it keeps on declining like this, where will we be reaching? Malnutrition of poor mothers, resulting in death of infants, is also shocking. हर बीस बच्चों में से एक बच्चे की डेथ हो रही है। यह malnutrition की वजह से हो रही है और एक साल के अंदर वह बच्चा मर जाता है। वह malnutrition की बजह से मर जाता है। इसके बारे में आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, किस तरह से व्यवस्था करने जा रहे हैं, इसको देखने की जरूरत है। मैं कल vulnerable women की बात कर रहा था और मैं आगे चलकर अपनी बात इसी में conclude भी करुंगा। मैंने कल vulnerable women में बाकी सब केटेगरीज़ की women की बात

[Shri Satish Chandra Misra]

रखी थी, उसमें कुछ केटेगरीज़ रह गई थीं, जिनके बारे में, मैं आज जिक्र करना चाहूंगा। They are women working as domestic servants. In every house, women are working in some manner or other. What is the safety for them? What are we doing for their rights? How are we protecting them? If they are harassed, there is no provision to take care of them. Where should they go? That is why yesterday I was saying that there should be a legal aid centre exclusively for women. Dr. Bhim Rao Ambedkar had already made a provision. You should come forward with such provisions, especially for the women, so that these women who are helpless and who have to work because of their domestic problems are protected. They are working as domestic servants. They are being harassed. There is nothing to protect them. There is no way to redressal of their grievances. If they do, they might lose their jobs also. Therefore, we have to take care of this. We should also take care of the women who still carry human waste on their heads. This is highly shameful for the country. Even today, after so many years of independence, there are women who still carry human waste on their heads. We say that this will be abolished in a few years but it should have been abolished by now. Certain provisions should be made. Some financial provisions should be made. It should be done on an emergency basis, on a day-to-day monitoring basis and a village-to-village basis. This should be abolished immediately. We cannot wait for five years or ten years for this. Similarly, in the rural areas, women have to go out in the open to relieve themselves. There are no toilets there. It was said that in 10 or 12 years, whichever period was said, we will have toilets in every home. In fact, toilet should be there in every house immediately. We should stop funding other places where it is not required. You should provide toilets in rural areas first. Their condition is very pathetic. How they come out of the house and what happens with them, you know this. In Uttar Pardesh, you must have heard of cases where women were gangraped when they went out. So, this is what is happening. The cases which are reported are reported and which are not reported are not reported at all.

Now, I come to the issue of security for differently-abled girls. हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड गर्ल्स होती हैं, उनमें इनसेनिटी भी होती है, helplessness भी होती हैं। उस तरह की लड़कियां, उस तरह की विमेन अगर बाहर घूम रही हैं, उनके लिए किसी जगह एरेंजमेंट करें, उनको एस्टैब्लिश करें, उनके लिए सेन्टर्स बनाएं, रिहैबिलीटेशन सेन्टर्स बनाएं, लेकिन उनको समाज में ऐसे ही छोड़ दिया गया है। Rapes are being committed and they are reported in the newspapers. But they are helpless. Nobody is there to take care of them. So, we have to take care of such women also. So far as the security of women is concerned, I would say that if you cannot bring 50 per cent women in police personnel,

at least you should bring 30 per cent. Fifty per cent should be their share, according to their population. You should at least bring 30 per cent, so that there is a sense of security. ...*(Time-bell rings)*... Sir, I will conclude in five minutes. We should prioritise framing of schemes or policies for differently-abled girls, for which separate funds should be provided. There should be a separate Ministry or, at least, Ministerial staff should be there. मेरा कहने का यह मतलब है कि आप कम से कम distinction करिए, मैट्रो सिटी को अलग लीजिए, आप डिस्ट्रिक्टस् को अलग लीजिए और रूरल एरियाज़ को अलग लीजिए। आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करिए, तीन तरह के लोग रह रहे हैं, तीन जगह रह रहे हैं और तीन तरीके हैं। जो मैट्रो सिटी की विमेन हैं, मैट्रो सिटी में जो लड़कियां हैं, जो वर्किंग विमेन हैं, उनकी प्राब्लम्स separate हैं, उनके लिए आपको सेप्रेट अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। उनके लिए आप separate measures लेंगे। जो डिस्ट्रिक्टस् में हैं, उनके लिए आपको दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा और जो रूरल एरियाज़ में हैं, उनके लिए आपको तीसरी तरह से सोचना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से मिनिस्ट्रियल स्टाफ रखना पड़ेगा, अलग से सेक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आप इनके लिए अलग से मिनिस्ट्रियल स्टाफ नहीं रखना चाहते हैं, जब तक आप इसको अलग-अलग नहीं करेंगे, सेप्रेट फंडिंग नहीं करेंगे, तो जो रूरल एरियाज़ हैं और जो डिस्ट्रिक्टस् हैं, जो डेवलप्ड नहीं हैं, वहां रहने वाली लड़कियां हमेशा पिछड़ी रहेंगी। वहां पर स्कूल्स नहीं होंगे, वहां पर फैसिलिटीज़ नहीं रहेंगी। रूरल एरियाज़ में जहां पढ़ाई की बात होती है, जहां गर्ल्स हैं, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स खोलने चाहिए। आप हर विलेज में नहीं खोल सकते हैं, तो आप एक एरिया बनाइए और उसमें स्कूल्स खोलिए तथा उसमें उनकी बढ़िया से बढ़िया पढ़ाई का इंतजाम कराइए। उसमें आप अंग्रेजी भी इन्क्लूड करिए। मंत्री जी, आपको भी नॉलेज होगी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से belong करती हैं, उत्तर प्रदेश में छठे दर्जे से अंग्रजी पढ़ाई जाती है। माननीया मंत्री जी, आपको यह भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में छठे दर्जे में ABCD पढ़ाई जाती थी, लेकिन जब बहन मायावती जी की सरकार आई, तो उन्होंने आते ही सबसे पहला आदेश यह जारी किया था कि जो सरकारी स्कूल्स हैं, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को प्राइमरी क्लास से अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। वहां से इसको लागू कराने का काम किया था। आप इसके लिए फेसिलिटी भी दीजिए। आप इसके लिए फेसिलिटी देकर उनको पढ़ाने का काम कीजिए। आप इस काम के लिए एन.जी.ओज़ को जो फंड देते हैं, उस पर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखिए कि वे रूरल एरिया में कितना पैसा लगा रहे हैं। आप रूरल एरिया वालों को वहीं पर कन्फाइन कीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट में कन्फाइन कीजिए और जो मेट्रो सिटीज़ में हैं, उनको वहीं पर लगाने का काम कीजिए, अदरवाइज वही होगा, जो नहीं होना चाहिए।

आप इनको सिक्योरिटी देने का काम कीजिए। यदि आप सिक्योरिटी नहीं देंगे तो महाभारत होगा। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण हुआ था। लोग आंख बंद करके बैठे रहे, देखते रहे और उसके बाद महाभारत हो गई। ऐसी महाभारत से कोई फायदा नहीं होता। हम लोगों को यह देखना है कि अगर इस देश में इस तरह का चीरहरण होता है या कोई करने की कोशिश करता है तो

[Shri Satish Chandra Misra]

यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह उसी समय उठकर खड़ा हो और उसका विरोध करे। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, please conclude.

SHRI SATISH CHANDRA MISRA: Sir, I will just take two minutes. I had said, 'I will take five minutes.' I have already taken two minutes. I will take three more minutes and conclude with my points. I will straightway read from my notes so that it does not take time.

Now, for summing up, in conclusion I will say, the barriers to the women empowerment, according to our party and myself, are manifested in various ways. Deep-rooted ideologies of gender bias and discrimination like the confinement of women to the private domestic realm, restrictions on their mobility, poor access to health services, nutrition, education and employment and exclusion from the public and political sphere continue to daunt women across the country.

Hence, according to me, the key elements for gender equity to be addressed should be the following: economic empowerment, social and physical infrastructure, enabling legislations, women's participation in governance, inclusiveness of all categories of vulnerable women, engendering national policies/programmes, and mainstreaming gender through Gender Budgeting.

In this regard women should be given facilities, and there should be an opportunity to the women to work from home - this is very important; please note this. There should be opportunity to the women for working from home. Their timing of the office hours should also be made flexible, not like men.

For this purpose, the women should be given facilities and these should be: the Government's initiation should be there through public-private partnership; computer, typing, editing can be done from home; skill works can be done from home; working hours must be according to the women convenience; adult literacy should be there; vocational training should be given, including in relation to agriculture. All possible measures should be taken for security purposes, including grant of arms licences to women also; if you have given one to men, give one to women, if not two. Give one to women. Training must be given for using them. Self-defence training should be there. Women police should be increased to, at least, 30 per cent, if not 50 per cent. We should not forget the case of Additional District Judge in Madhya Pradesh where she has resigned on account of the allegations made against a sitting High Court Judge. Therefore, Support

Struggle Committees are required to be made at work places instead of Committees as has been done in Vishakha Judgement. Mere implementation of Vishakha Judgement is not helping. The members of such committees should be from amongst the employees to be elected by the employees.

In the end, while concluding I would like to say that ₹ 150 crore in the Budget for Centres for Women Safety is a peanut for 60 crore women population. ₹ 1,000 crore fund under 'Nirbhaya Fund' for women still remains untouched - it is shameful. Women Protection Centres are needed in every district and every Panchayat and not only in metro cities. Legislation alone cannot emancipate our women. They have to be effectively implemented and enforced. We have to ensure that they are empowered but the empowerment is not just another hype. Mere lofty ideas for women's upliftment will not help ease their burden. It is now time for the final push to make the nation safe for women else we have no right to be called as men. We have to preserve childhood and ensure that Child Development Schemes do not become the monopoly of contractors, packaged food manufacturers and hazardous business houses. We must give children their right to play. Please do not forget that caring for the child is caring for the nation. We have to empower the girls through effective and useful schemes. It is a very dangerous trend that minors are fast getting sucked into the world of crime. Everything possible should be done to stop this. ...*(Time-bell rings)*... One rape is being committed in every 30 minutes in India, which is shameful and disgraceful. There should be a provision for women Police Force to protect them. Thank you.

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़) : मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी, बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं यह समझती हूं कि यह सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जिसके ऊपर मैं अपना इज़हारे ख्याल करना चाहती हूं।

उपसभापति जी, अभी हमारे लोक सभा के जो चुनाव हुए और इस चुनाव में जीत कर जो पार्टी आई, जिसके सदस्य उधर बैठे हैं, जिसके प्राइम मिनिस्टर बने, हम उनका खैर मक़दम करते हैं, क्योंकि यह अवाम का फैसला है और जम्हूरियत में अवाम का फैसला ही सबसे बड़ा होता है। लेकिन जिस तरह से यह इलेक्शन लड़ा गया, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूं। मैंने भी इस मई में अपनी एक्टिव पॉलिटिक्स के 54 साल पूरे किए हैं। मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत इलेक्शंस लड़े हैं, बहुत इलेक्शंस लड़वाए हैं, लेकिन मैंने ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा, जो ज़ातीयत पर आता हो, जिसमें सिर्फ character assassination या एक खानदान के पीछे पड़ कर, एक पार्टी के पीछे पड़ कर इस तरह की बातें की गईं। मैं समझती हूं कि हमारा जो सियासी मैदान है, उसमें एक तहज़ीबो तमद्दुन, एथिक्स होते हैं। हमने इनकी सारी सरहदें पार करके इस इलेक्शन में इस देश की अवाम को जो मेसेज दिया, मैं समझती हूं कि उससे हमें बचना चाहिए।

उपसभापति जी, इस इलेक्शन में दो चीज़ें कही गई हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहती हूं। ...(**व्यवधान**)...

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

†[**محترمہ محسنہ قدوائی (چھتیس گڑھ) :** مانیور، میں آپ کی بہت آبھاری، بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے امپورٹینٹ منسٹری ہے، جس کے اوپر میں اپنا اظہار خیال کرنا چاہتی ہوں۔

اپ سبھا پتی جی، ابھی ہمارے لوک سبھا کے جو چناؤ ہوئے اور اس چناؤ میں جیت کر جو پارٹی آئی، جس کے سدسئے ادھر بیٹھے ہیں، جس کے پرائم منسٹر بنے، ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیوں کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے اور جمہوریت میں عوام کا فیصلہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح سے یہ الیکشن لڑا گیا، میں اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں نے بھی اس مئی میں اپنی ایکٹیو پالیٹکس کے 54 سال پورے کئے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت الیکشنس لڑے ہیں، بہت الیکشنس لڑوائے ہیں، لیکن میں نے ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا، جو ذاتیت پر آتا ہو، جس میں صرف کریکٹر اسیسنیشن یا ایک خاندان کے پیچھے پڑ کر، ایک پارٹی کے پیچھے پڑ کر اس طرح کی باتیں کی گئیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا جو سیاسی میدان ہے، اس میں ایک تہذیب و تمدن، ایتھکس ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کی ساری سرحدیں پار کرکے اس الیکشن میں ان دیش کی عوام کو جو میسیج دیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس سے ہمیں بچنا چاہئے۔

اپ سبھا پتی جی، اس الیکشن میں دو چیزیں کہی گئیں ہیں، جن کے بارے میں میں کہنا چاہتی ہوں ...(مداخلت)...

श्री प्रभात झा (मध्य प्रदेश) : सर, इन्होंने जो कहा है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not now. ...*(Interruptions)*... No, no, no. Sit down. ...*(Interruptions)*... Not allowed. Sit down. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: I have not yielded. ...*(Interruptions)*... I am not yielding. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Member is not yielding. Sit down. ...*(Interruptions)*... Why do you interrupt? ...*(Interruptions)*...

†Transliteration in Urdu Script.

KUMARI SELJA (Haryana): Sir, what is this? Why are they interrupting? ...*(Interruptions)*... It is not fair. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you interrupt? ...*(Interruptions)*... Please do not interrupt. ...*(Interruptions)*... That is her view. ...*(Interruptions)*...

KUMARI SELJA: She is not yielding. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI MOHSINA KIDWAI: I am not yielding. ...*(Interruptions)*... मैं बोलूंगी, आपको सुनना पड़ेगा। ...(**व्यवधान**)...[میں بولوں گی آپ کو سننا پڑے گا۔]†

कुमारी शैलजा : आप सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: She is not yielding. ...*(Interruptions)*... That is her view. Why do you worry? ...*(Interruptions)*... You can reply when your turn comes. ...*(Interruptions)*... You reply when your turn comes. ...*(Interruptions)*...

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Mr. Deputy Chairman, Sir, they don't have the decency to respect a senior leader. ...*(Interruptions)*... They don't have the decency and the patience to listen to what she says. ...*(Interruptions)*...

कुमारी शैलजा : आपको क्या प्रॉब्लम है? उन्हें बोलने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Sit down. ...*(Interruptions)*... आप लोग बैठिए। That is her view. ...*(Interruptions)*...

SHRI B. K. HARIPRASAD: You did that. ...*(Interruptions)*... You did that and you have been doing it! You have no business to interrupt. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Don't do that. ...*(Interruptions)*... What is your problem?. ...*(Interruptions)*...

श्री अनिल माधव दवे (मध्य प्रदेश) : सर, यह 'character assassination' ठीक शब्द नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

KUMARI SELJA: Sir, you cannot allow this. ...*(Interruptions)*...

श्री अनिल माधव दवे : इस उम्र में ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

कुमारी शैलजा : इसका क्या मतलब है? ...(**व्यवधान**)...

डा. सत्यनायण जटिया (मध्य प्रदेश) : सर, इसको expunge कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Hon. Lady Member, sit down. ...*(Interruptions)*... Dr. Jatiya, you are a Vice-Chairman. ...*(Interruptions)*... Hon. Lady Member, please take your

†Transliteration in Urdu Script.

[Mr. Deputy Chairman]

seat. ...*(Interruptions)*... Hon. Lady Member, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Now, please ...*(Interruptions)*... If there is anything derogatory or unparliamentary, I will look into the records and expunge it, but on her political views, you would get a chance to speak. At that time you can reply. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANIL MADHAV DAVE: You may say anything political. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please proceed. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती मोहसिना किदवई : देखिए, मुझे वे बातें तो कहनी पड़ेंगी, जिन पर सरकार चुन कर आई है। मुझे जो प्वाइंट्स कहने हैं, वे तो मैं कहूंगी।

मैं आपसे यह अर्ज़ कर रही थी कि दो चीजों के ऊपर यह सरकार आई। एक तो महंगाई का सवाल था, जिस पर हमारी सरकार गई और आपकी सरकार को मौका मिला। दूसरी बात यह है कि आपने पूरे देश को यह समझाने की कोशिश की कि 60 साल बनाम 60 महीने, यानी 60 साल में कांग्रेस ने बरबाद कर दिया, उसकी जो नीतियां थीं, उसके जो प्रोग्राम्स थे, जो सारी चीज़ें थीं, इस देश को बरबाद करने वाली कांग्रेस है। उपसभापति जी, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आज़ादी की लड़ाई को आप कांग्रेस से अलग कर सकते हैं? इन्होंने तीसरी बात-'कांग्रेस मुक्त भारत' कही। अगर आप 'कांग्रेस मुक्त भारत' कह रहे हैं, तो कुछ सोच कर आप यह कहिए। यह वह कांग्रेस है, जिसके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। ब्रिटिश पीरियड, जो अपने समय की सबसे बड़ी सल्तनत कहलाती थी, उस वक्त यहां के भूखे, नंगे, जाहिल हिन्दुस्तानियों के माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व में वह लड़ाई लड़ी गई, तभी हम अपने देश को इतनी बड़ी ताकत से मुक्त करवा पाए, लेकिन आज आप इस देश को यह बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेस मुक्त सरकार चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं।

कांग्रेस का इतिहास बहुत विशाल है, इतिहास से आप कांग्रेस का नाम हटा नहीं सकते हैं। जब-जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब-तब यह बताया जाएगा कि आज़ादी की सबसे बड़ी जंग कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ी गई। अगर उसमें कुछ मिसिंग था, तो वह आपकी पार्टी थी। आपकी पार्टी का एक शख्स भी ऐसा नहीं है, जिसने आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया हो, जिसने अंग्रेजों का एक कोड़ा भी खाया हो या जिसने अंग्रेजों की कोठरियों में जाकर अपनी जवानियां बिताई हों।

आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप सरदार पटेल की इतनी इज्जत कर रहे हैं। आपके पास तो कोई ऐसा लीडर है नहीं, जिसकी आप बात करें या जिसका फ्रीडम मूवमेंट से ताल्लुक हो। आपके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने हमारी कांग्रेस के जो बड़े जबरदस्त लीडर थे, जिनका देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा कांट्रिब्यूशन था, आप उनकी इज्ज़त कर रहे हैं। हमारी कांग्रेस के उस लीडर को आप इतना बड़ा सम्मान दे रहे हैं, जिसकी आज़ादी की लड़ाई में बड़ी जबरदस्त भूमिका थी और आज़ादी के बाद, देश के विकास में भी जिनका बहुत बड़ा कांट्रिब्यूशन रहा है।

उपसभापति जी, आज यह कहा जा रहा है, '60 साल बनाम 60 महीने'। मैं जरा सा आपको पीछे की हिस्ट्री बताना चाहती हूं। आप कहते हैं कि 60 साल में कांग्रेस ने कोई काम ही नहीं किया। ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति जी, 1947-48 का जो पहला बजट था, जो हमारे आर.के. शणमुखम चेट्टी जी ने पेश किया था, वह बजट 171 करोड़ रुपये का था और वह डेफिसिट बजट था। उसमें लगभग 196 करोड़ रुपये का एक्पेंडिचर था। दूसरा और तीसरा बजट, जो हमारे श्री जॉन मथाई जी ने पेश किया था, वह 155 करोड़ रुपये और 203 करोड़ रुपये का था। आज हमारे वित्त मंत्री, अरुण जेटली जी ने 2014-15 का जो बजट पेश किया है, वह 17 लाख करोड़ रुपये का बजट है। 17 लाख करोड़ रुपये का जो बजट आज पेश हुआ है, वह 60 साल की सारी बरबादी का ही नतीजा है, जिसका फायदा आज आप उठा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... यह किसने दिया? यह 17 लाख करोड़ रुपये का जो बजट आपने दिया ...(**व्यवधान**)... आप ज़रा ख़ामोशी से सुन लीजिए।

मैं आपसे कह रही हूं कि 60 साल में जितनी भी तरक्की हुई, वह कांग्रेस की ही देन है। आपको अपनी आइडियोलॉजी साफ करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? आपकी पार्टी की विचाराधारा क्या है? आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? अब आप सरकार में हैं, इसलिए आपको अपनी पार्टी की आइडियालॉजी बतानी पड़ेगी। हमारी आइडियोलॉजी और हमारी विचारधारा बहुत दिन पहले, जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, तभी तय कर ली गई थी, हमने अपने रास्ते तभी तय कर लिए थे। ऐसा नहीं है कि आज वोट के लिए हम अपनी आइडियालॉजी या अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। हमारे रास्ते, हमारी मंज़िलें, यह सारा कुछ आज़ादी से पहले हमारे जो सेशन हुआ करते थे, उसी में तय कर लिए गए थे।

मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, छह महीने इस देश में जिस तरह से प्रचार हुआ, उसके लिए मैं यह जरूर कहूंगी कि लोग बोलने में बहुत उस्ताद हैं। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश के होते हैं, एक पार्टी के नहीं, लेकिन मुझे इक़बाल का एक शेर याद आता है, जो मैं कहना चाहती हूं-

'इक़बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है।
गुफ्तार का ग़ाज़ी बन तो गया, क़िरदार का ग़ाज़ी बन न सका।।'

आपको शायद यह शेर समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारी बहन नजमा वहां बैठी हैं, वे आपको इसका मतलब समझाएंगी। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस देश को अगर चलाना है तो किसी आइडियोलॉजी पर चलाना होगा, किसी विचारधारा पर चलाना होगा। नारेबाज़ी से देश नहीं चलते हैं और इतना अज़ीम देश किस तरह ऐसे चल सकता है? अभी परसों हम 15 अगस्त मनाने जा रहे हैं। जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, चाहे वे जो भी हों, लाल क़िले की उस तारीख़ी फ़सील से तिरंगा लहराते हैं, तो हर हिन्दुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाता है कि यह हमारा तिरंगा है, जिसके नीचे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इतने आगे बढ़े। उपसभापति जी, यह जो हमारी मिनिस्ट्री है और आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से आप लोगों ने – मैं यह समझती हूं कि आपने यह कह कर कि हमें 'कांग्रेस मुक्त भारत' चाहिए, आप उन लाखों हिन्दुस्तानियों का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने तिरंगे के नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ कर आपको इस काबिल बनाया, हम लोगों को इस काबिल बनाया कि हम यहां बैठ सकें। हमारा जम्हूरियत पर, सोशलिज्म पर सेल्युलरिज्म पर जो विश्वास था, उसने हमें आज यहां तक पहुंचाया। उस वक्त सब हिन्दुस्तानी, नंगे, भूखे और जाहिल हिन्दुस्तानी, जो इकट्ठे लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें मज़हबो

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

मिल्लत किसी चीज़ की कोई तफ़रीक नहीं थी। आज आप बजट की बात कर रहे हैं। आज आप 17 लाख करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं और 60 सालों में हमने जो काम किया ...(**व्यवधान**)...

उपसभापति जी, जिस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, आज़ादी की लड़ाई में आप लोगों का कोई – खैर, प्रधान मंत्री जी ने कहा कि मैं अभागा हूं कि मैं उस लड़ाई में शामिल नहीं हो सका। यह बात सही है। लेकिन उस उम्र के बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको कम से कम एक रात की सज़ा मिली होती, तो उनके पास फ्रीडम मूवमेंट का एक सर्टिफिकेट होता। मुझे एक शेर याद आता है कि:

'जब पड़ा वक्त गुलिस्तां पे, तो खून हमने दिया,
अब बहार आई, तो कहते हो तेरा काम नहीं हैं।

इसलिए आज हमें सोचना चाहिए। देश चलाना कोई आसान बात नहीं है। उपसभापति जी, जिस मिनिस्ट्री के ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती कुसुम राय (उत्तर प्रदेश) : ...(**व्यवधान**)... जनता ने किया है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप बैठिए। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती मोहसिना किदवई : जिस मिनिस्ट्री पर आज बहस हो रही है, मैं समझती हूं कि अगर आप इसको देखें, तो कांग्रेस ने हमेशा औरतों और बच्चों का ख्याल रखा। कांग्रेस पार्टी का इस देश की महिलाओं और बच्चों के साथ यह कमिटमेंट था। सोशल सेक्टर में और खास तौर से इस मिनिस्ट्री में हमारा जो खर्चा हुआ, यह बहुत पुरानी बात है। काफी दिनों पहले, इंदिरा जी ने पहली मर्तबा स्टेटस ऑफ विमेन पर एक कमेटी कायम की थी। उन्होंने तमाम बातें कही थीं, लेकिन यह मिनिस्ट्री उसी की एक जड़ है। मैं समझती हूं कि सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड बहुत पुराना है, जिसके नीचे एक ऑटोनोमस बॉडी आती है। मुझ यह सर्फ हासिल हुआ कि 1958 में जब जिले में कमेटीज़ होती थीं, तो मैं उस कमेटी की चेयरमैन थी। 1958 में, शायद आप में से बहुत से लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे, जब मैं वहां की चेयरमैन बनाई गई थी। मैं आपसे कहना चाहती हूं, मैं सरकार से यह गुजारिश करना चाहूंगी कि यह मिनिस्ट्री जो है, इस मिनिस्ट्री को सिर्फ एक मिनिस्ट्री की हैसियत से मत देखिए, इस मिनिस्ट्री को सिर्फ एक डिपार्टमेंट की हैसियत से मत देखिए। पहले एच.आर.डी. एक डिपार्टमेंट होता था। 2006 में इसको फुल फ्लेज्ड मिनिस्ट्री का दर्जा दिया गया और इसमें लातादाद स्कीमें बनीं। मैं आपसे यह दर्ख्वास्त करना चाहती हूं कि यह मिनिस्ट्री हिन्दुस्तान के फ्यूचर को बनाती-संवारती है, जिस तरह से हीरा एक पत्थर होता है, उसकी जितनी अच्छी तराश होती है, उतना ही कीमती वह पत्थर होता है। आज जो आंगनवाड़ी चल रही है, आज जो बच्चों की बात हो रही है, आज जो महिलाओं की बात चल रही है, उसको एक मिनिस्ट्री की हैसियत से नहीं, बल्कि इंडिया के मुस्तकबिल के लिए, इंडिया के भविष्य के लिए देखना चाहिए। हम हिन्दुस्तान में एक साफ-सुथरे सेहतमंद समाज की, दिमागी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद समाज की जो रचना करने जा रहे हैं, उसमें यह सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री है।

मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि इसके सोशल सेक्टर का बजट अबकी बार बहुत कम हो गया। मेरा ख्याल है कि सोशल सेक्टर पर आपकी सरकार को कोई भरोसा नहीं है। यह बार-बार कहा जा चुका है कि सोशल सेक्टर में यू.पी.ए. सरकार ने बहुत पैसा खर्च किए हैं। अब मालूम नहीं कौन सी स्कीम रहेगी और कौन सी जाएगी। मैं एक बात पूछना चाहती हूं। कोई स्कीम आपने हमारी बदली नहीं, बहुत खुशी की बात है। एक स्कीम इसमें बदली और बढ़ाई है, वह भी अच्छी होगी, - ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ'। वह भी एक अच्छी स्कीम है, जिसके लिए आपने 100 करोड़ दिए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि वह कौन सी नीति है, जिसके जरिए कांग्रेस ने बरबाद किया? किस नीति के जरिए कांग्रेस ने बरबाद किया? वे कौन-से प्रोग्राम्स थे, जिनके जरिए कांग्रेस ने 60 साल में इस देश को बरबाद कर दिया। विदेश मंत्री, हमारी बहन सुषमा स्वराज कह रही थीं कि विदेश नीति में कोई फर्क नहीं है, एच.आर.डी. मिनिस्ट्री से कहा गया कि वहां कोई फर्क नहीं है, इसमें हम देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है, तो कौन-सी ऐसी नीति थी, जो आपने पूरे देश को यह बात बताई कि कांग्रेस की नीतियों ने इस देश को बरबाद कर दिया? अब यह आपको बताना पड़ेगा। सियासी पार्टियां आती हैं, वे लड़ती हैं, सरकार लेने के लिए लड़ती हैं, लेकिन इस तरह से गुमराह करने की बात नहीं होनी चाहिए। आप ये जो स्कीम्स चला रहे हैं, इनके लिए आपको बहुत सोच-समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। इनमें बच्चों की बात कही जाती है, जैसा अभी सतीश जी कह रहे थे कि 40 करोड़ बच्चे इस मुल्क में हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया का हर छठा बच्चा हिन्दुस्तान में रह रहा है और उस छठे बच्चे की क्या केयर हो रही है, उसके लिए क्या हो रहा है, यह किसी को मालूम नहीं है। इस मिनिस्ट्री को बढ़ा कर इसको फुल-फ्लेज दर्जा देने का मकसद यह था कि हमारी औरतों की जो बहुत बड़ी तादाद इस देश में है, उसको पूरा तरह से उभरने का मौका मिले। उसका ऑलराउण्ड डेवलपमेंट हो, क्योंकि मां जो होती है, वही बच्चे को पैदा करती है और वही बड़ा करती है, इसलिए बच्चे की सबसे पहली ट्रेनिंग उसकी मां की गोद में होती है। जाहिर है कि हमारी 80 प्रतिशत महिलाएं और बच्चे गांवों में रहते हैं, इसलिए यू.पी.ए. की सरकार ने इस मद में गांवों की ओर ज्यादा ध्यान दिया, ताकि हम उन बच्चों को बचा सकें। आज लड़कों का ड्रॉप आउट below 50 percent है और लड़कियों का ड्रॉप आउट 63 परसेंट है। आज आपका हर दूसरा बच्चा एनीमिक है। ये जो स्कीम्स हैं, इनमें न्यूट्रिशन का सवाल है, इम्युनाइजेशन का सवाल है, अर्ली एजुकेशन का सवाल है, प्री-स्कूल एजुकेशन का सवाल है, एलिमेंटरी एजुकेशन का सवाल है, प्रेग्नेंट विमेन की देखरेख का सवाल है, ये सारी चीजें इन स्कीम्स में हैं। एक तरह से एक हेल्दी नेशन तैयार करना और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये स्कीम्स हैं। हमारे यहां मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस वक्त हमारा मुल्क आजाद हुआ था, उस समय हमारी आबादी 36 करोड़ से ज्यादा थी। उनको खिलाने के लिए हमारे पास खाद्यान्न नहीं था, हम लोग बाहर से खाद्यान्न लाते थे। उस समय बर्थ रेट 39.9 परसेंट और डेथ रेट 27.4 परसेंट था। आज की फिगर्स के अनुसार आज हमारा बर्थ रेट 20.22 परसेंट है और डेथ रेट 7.4 परसेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जितना काम पिछले साल में हुआ...आपको ख्याल होगा कि पहले जब कोई बीमारियां फैलती थीं, तो वे पूरी की पूरी बस्तियों को लेकर चली जाती थीं, चाहे वह प्लेग हो, चाहे वह कॉलरा हो, चाहे वह मलेरिया हो, चाहे वह स्मॉलपॉक्स हो। आज उन बीमारियों से देश मुक्त है और अभी जो हमारे लीडर ऑफ दि अपोज़िशन हैं, वे हेल्थ मिनिस्टर थे और उन्होंने यह

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

1.00 P.M.

ऐलान किया था कि हमारा हिन्दुस्तान पोलियो मुक्त है। हम चाहते हैं कि भारत रोग मुक्त भारत हो, हिंसा मुक्त भारत हो। हमारा भारत बीमारी मुक्त हो, हमारा भारत छुआछूत मुक्त भारत हो, हमारा भारत शोषण मुक्त भारत हो, हमारा भारत एक ऐसा हंसता-खेलता-खिलखिलाता भारत हो, जो भाईचारे, अमन और शांति के माहौल में डूबा हुआ हो, लेकिन आप चाहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत।

आज सोचने की बात यह है कि सरकार आती है, वह किसी एक पार्टी के लिए नहीं आती है, वह देश के लिए होती है और देश के हर तबके, हर फ़िरके के लिए होती है।

इस देश का जो संविधान बना है, वह पूरे देश की तस्वीर सामने रख कर बनाया गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर इसकी प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। उस समय तो और भी बहुत से विद्वान लोग थे, लेकिन उनको ही उस समय इसका चेयरमैन क्यों बनाया गया? उनको इसका चेयरमैन इसलिए बनाया गया, क्योंकि उन्होंने हक़ीकी जिन्दगी को बहुत करीब से देखा था। इस कारण से इतने काबिल और इतनी जबर्दस्त सोच रखने वाले को इसका चेयरमैन बनाया गया। जो संविधान बना, वह सारी तस्वीर सामने रख कर बहुत सोच-समझ कर बना। आज जिस किस्म की बातें बाहर से आ रही हैं... आज इतना कशीदा माहौल है, आज पूरी सोसाइटीज़ का कम्युनलाइजेशन हो रहा है। आज मुख्तलिफ कास्ट्स का कम्युनलाइजेशन हो रहा है। हमारा जो इन्फ्लेशन रेट 7.2 परसेंट था, आज वह 10 परसेंट हो गया है। आज महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। जिनसे आपने वोट लिया उनको आपसे कभी यह उम्मीद थी और सही उम्मीद थी कि कम से कम आप तीन महीने में, बहुत वक्त आपको नहीं हुआ, लेकिन इन तीन महीनों में अवाम को आपसे यह उम्मीद थी कि आप कम से कम महंगाई कम करेंगे और अगर कम नहीं करेंगे तो कम से कम वहां तो रखेंगे जहां यू.पी.ए. गवर्नमेंट छोड़ गई थी। आज उससे दोगुनी प्राइसेज हैं। सबके घरों में मालूम है कि क्या आ रहा है क्या नहीं और किस तरह से आ रहा है। तो आज अवाम परेशान है। आप आए, हम अवाम का फायदा चाहते हैं। हम अवाम की सहूलियतें चाहते हैं। आप दें बहुत बेहतर है, लेकिन लगता है कहीं भी तीन महने में महंगाई तो कम हो ही सकती थी। लेकिन आज जो हालात पैदा हो गए हैं देश के, कांग्रेस ने 60 साल में जो सबसे बड़ा काम मेरे ख्याल से किया, वह इस देश में सद्भावना बनाए रखने के लिए, इस देश में अमन और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए किया। इस देश में भाईचारे का माहौल बनाए रखने के लिए, आज लग रहा है कि उस माहौल में कहीं-न-कहीं कोई कमी हो रही है और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह कुछ लीडर साहबान का है, जो रोज कैसे बयान देते हैं। खुदा के लिए उनको रोकिए। इसलिए कि अगर इस देश में एकता नहीं रही, सबसे बड़ी ताकत है इस देश की एकता, इस देश का भाईचारा, अगर वह नहीं रहता तो यह देश बेरूह हो जाएगा। इसलिए ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mohsinaji, how many more minutes do you want because I want to decide about lunch?

श्रीमती मोहसिना किदवई : मुझे कम से कम 15-20 मिनट तो चाहिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I think, after that ...*(Interruptions)*... No, no; let her complete. After that, we will adjourn for lunch. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती मोहसिना किदवई : उपसभापति महोदय, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया।

मैं दो-तीन बातें और कहना चाहती हूं। आज यह जो मिनिस्ट्री काम कर रही है और इसमें जिस तरह का पूरा ढांचा बना हुआ है वह एक अच्छा ढांचा बना है। उसका जो मकसद है वह यह था कि औरत को, बच्चे को हर तरह से आगे बढ़ने के लिए डेवलपमेंट भी हो, इकॉनोमिकली भी हो, पॉलिटिकली भी हो, सारी कुछ उसमें चीजें थी। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारा जो सिस्टम था यह जो कैरेक्टर बिल्डिंग की बात है, कहना चाहिए कि जो सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वे क्यों आ रही हैं, कभी हमने यह सोचा? यह सिर्फ एक नज़र से देखने वाली चीज नहीं है। आज जो सबसे बड़ा हमारा सिस्टम था ज्वाइंट फेमिली सिस्टम, जहां बच्चों का करेक्टर बिगड़ने नहीं दिया जाता था, कोई न कोई होता था उनको देखने के लिए, आज वह खत्म हो गया। आज हमारे यहां जो टीचर्स का रुतबा होता था, आज टीचर्स का और स्टूडेंट का वह रिश्ता नहीं रहा। जो हमारे घर में एक माहौल होता था, एक मज़हबी माहौल होता था, उन्हें तालीम देते थे कि मज़हब सिर्फ डिसिप्लिन सिखाता है, मज़हब यह सिखाता है कि कोई ऊपर है जिससे डरना है। आज वे सारी चीजें खत्म हो गईं। आज वर्किंग कपल हैं, आज वे दोनों निकल जाते हैं, उनके घरों में बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। तो आज एजुकेशन के जरिए और समाज के जरिए आपको यह जागृति लानी पड़ेगी। हमारी मंत्री जी बैठी हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूं कि बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुराक सबसे बड़ी बात है वालिदान का, पेरेंट्स का मोहब्बत और उनका अफेक्शन और उनका अटेंशन जो उनको आज नहीं मिल रहा। मैं तो कहूंगी कि आपको एक मूवमेंट छेड़ना चाहिए कि मां-बाप, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें, ताकि वे बिगड़ें नहीं। इसलिए कि बच्चों को बिगाड़ने में बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। जब तक समाज नहीं बदलेगा और अनफॉर्च्युनेटली मुझे यह कहने में हिचकिचाहट नहीं है कि पिछले दिनों सारी सोसाइटी में गिरावट आई है। सोसाइटी एज. ए. होल में deterioration आया है। वह आपको हर जगह मिलेगा, हर सूबे में हर जगह मिलेगा। तो जो यह आंगनवाड़ी है, आपकी इंटीग्रिटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स जो हैं. एक सर्विसेज जो हैं वे इसलिए शुरू की गई थीं कि बच्चों के लिए अच्छी हैल्दी सर्विसेज हैल्थ की, इम्युनाइजेशन की थी। लेकिन आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ये इम्प्लीमेंट करेंगी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मिसाल के तौर पर इम्युनाइजेशन की बात है। इम्युनाइजेशन में जरूरी है कि कोई चेन आपके पास हो। वह चेन कहां है आपकी हर मिनिस्ट्री में, हर स्टेट में? तो ये सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। सर, आंगनवाड़ी वर्कर्स इस योजना की सबसे importantfactor है। वह समाज की होती है और समाज में participation of community सबसे बड़ी बात होती है। इसमें participation of community सबसे ज्यादा हो ताकि बच्चे आराम से उस माहौल में रह सकें। सर, मैं मानती हूं कि सरकार बहुत पैसा एकदम से नहीं लगा सकती, लेकिन उसके लिए हमें उपाय ढूंढने चाहिए। आज तमाम इस तरह की खबरें आती हैं कि वहां पक्के मकान नहीं हैं, कहीं बच्चे तालाब में गिर रहे हैं, करप्शन है। इन सब को रोका जाना चाहिए।

सर, यह खुशी की बात है कि हमारे यहां 13 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स आज 5 करोड़ बच्चों तक और 2.5 करोड़ pregnant and nursing mothers तक पहुंच चुकी हैं। यह स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है, यह देश को उठाने वाली स्कीम है और इसे यह सोचकर बनाया गया था कि बच्चे सेहतमंद माहौल में पैदा हों और अच्छ माहौल में इन सेंटर्स पर पलें व बढ़ें।

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

सर, जहां आंगनवाड़ी के सेंटर्स हैं और पक्के मकान नहीं हैं, उनके लिए आप एक नक्शा बनवाइए। यह नक्शा पहाड़ी क्षेत्र के लिए अलग हो और मैदान के लिए अलग हो कि उन्हें वहां कौन सी चीजें चाहिए। मंत्री महोदया, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहती हूं, पता नहीं मेरे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके लिए तैयार होंगे या नहीं। वहां पंचायत से आपको जगह मुफ्त मिलेगी, आपको "मनरेगा" के जरिए लेबर मुफ्त मिलेगी, आपको सिर्फ मैटीरियल लाना होगा। अगर उसके लिए हर सांसद, हर साल एक करोड़ रुपए दे दे, तो मैं समझती हूं कि दो-चार साल में उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहती हूं कि जो बच्चे वहां पढ़ते हैं, हम रोज देखते हैं कि उनको खाना साफ-सुथरा नहीं मिलता, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिलता क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल nutrition का आता है। अगर बच्चों को वहां पौष्टिक आहार ही नहीं मिलेगा तो इस स्कीम का क्या लाभ होगा? मुझ अफसोस इस बात का है कि मिड डे स्कीम में आपकी सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है और न उसका expansion किया है। सर, मिड डे मील स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी और unique स्कीम है। Integrated Child Development Services दुनिया में एक अनोखी स्कीम है। यह एक स्कीम है, जिसकी सभी लोग तारीफ करते हैं और समझते हैं कि यह एक बुनियादी स्कीम है। इसलिए आपको इनके सेंटर्स पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस स्कीम की सबसे बड़ी चीज है, selection of Anganwadi workers. मंत्री जी, वहां तमाम पढ़ी-लिखी औरतें भी हैं, खुले दिमाग की हैं। आपको ऐसी औरतों को इस कार्य के लिए select करना पड़ेगा। वहां बच्चों के साथ discrimination की शिकयतें आती हैं। दलित या मुस्लिम वर्ग के बच्चों को अलग बिठाकर खाना खिलाया जाता है। फिर इस स्कीम का क्या फायदा हुआ? इस वक्त तो integration होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूंगी कि selection of Anganwadi workers और helpers में पूरी टीम का सलैक्शन ऐसा हो कि वे अपने काम में ज्यादा-से-ज्यादा कम्युनिटी की हैल्प लें। जो बच्चे वहां पढ़ने आते हैं, आप उनके मां-बाप को कुकिंग में इनवॉल्व क्यों नहीं करते? आप इनकी नियुक्ति वहीं से कीजिए और इन बच्चों के मां-बाप को इनवॉल्व कीजिए ताकि वे अपने बच्चों के लिए साफ-सुथरा खाना सुनिश्चित कर सकें। सर, इन वर्कर्स का काम जैसे immunisation है, health check-up है, काड्र्स मेंटेन करने का काम है, बच्चों को अच्छी बातें बताने का काम है - ये सब बहुत impartant काम हैं। मैं समझती हूं कि इससे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री कोई दूसरी नहीं हो सकती क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, आज मां-बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। ये वर्कर्स मां-बाप का रोल निभाती हैं। ये वहां की औरतों को बताती हैं कि उनके बच्चों को किस तरह के पौष्टिक आहार की जरूरत है, किस तरह से बच्चों की परवरिश हो।

सर, बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी बहुत जरूरी है। आज उनके पास तरबियत नहीं है, इसलिए आपसे और प्रधान मंत्री जी से भी दरख्वास्त है कि इस मिनिस्ट्री को पूरा खर्चा दिया जाना चाहिए ताकि यह मिनिस्ट्री अच्छी तरह से चल सके। देश की औरतों को विकसित होने का पूरा मौका मिले और जो आज के हिन्दुस्तान का नक्शा है, उसमें आज के बच्चे कल के जिम्मेदार हिन्दुस्तानी बन सकें। सर, मैं आखिरी दो मिनट लेना चाहती हूं। सर, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगी। हमारे देश में सबके राइटस् हैं, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, लेकिन बच्चों के राइटस् नहीं हैं, क्योंकि वे वोटर्स नहीं हैं। अगर बच्चे भी वोटर्स होते, तो शायद लोग उनकी ज्यादा देखभाल करते। हम सभी लोग राजीव जी की उस स्कीम को लेकर उन्हें

मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने 18 वर्ष के बच्चों को वोटिंग राइट दे दिया। इसलिए आज छोटे बच्चों के बनिस्बत 18 वर्ष के बच्चों की ज्यादा पूछ है और यह सब कुछ पोलिटिकल इस्तेमाल के लिए है। उस वक्त जब राजीव जी 18 साल के बच्चों को वोटिंग राइट देने जा रहे थे, तो उनके साथ जो लोग कैबिनेट में थे, इत्तिफ़ाक से मैं भी उसमें थी और मैंने देखा, ज्यादातर लोग उनकी इस बात के खिलाफ थे। उनका कहना था कि इस वक्त अगर आप इनको वोटिंग राइट दे रहे हैं, तो इनमें से कोई आपको वोट नहीं देगा। उन्होंने कहा था कि मुझे मालूम है कि वे नहीं देंगे, लेकिन कभी ऐसा वक्त आएगा, जब इस देश के नौजवान को देश की जिम्मेदारी लेनी होगी और उसे वह जिम्मेदारी लेने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा, नौजवानों को आगे की जिम्मेदारी देना है। हिंदुस्तान के लिए इन नौजवानों में जिम्मेदारी का एक जज्बा होना चाहिए, नेशन के लिए एक जज्बा होना चाहिए। आप देखिए, आज जो ज्यादातर वोटर्स हैं, वे 18 वर्ष के लड़के-लड़कियां हैं।

सर, मैं बोलना तो बहुत चाहती थी, लेकिन जाहिर है कि आपके पास भी मुझे देने को वक्त कम है, इसलिए मैं अपनी आखिरी बात कहूंगी कि आप इस मिनिस्ट्री की इम्पॉर्टेन्स को समझिए, इस मिनिस्ट्री को इस नज़र से देखिए कि आगे आने वाले समय में हिन्दुस्तान का नक्शा कैसा होना है, कैसे बच्चों का विकास होना है, कैसे बच्चे पैदा होने हैं, आगे क्या होना है और ये सारी चीजें देखकर इस मिनिस्ट्री को ट्रीट कीजिए, इसको एज ए मिनिस्ट्री ट्रीट मत कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

†[**محترمہ محسنہ قدوائی** : دیکھئے، مجھے وہ باتیں تو کہنی پڑیں گی، جن پر سرکار چن کر آئی ہے۔ مجھے جو پوائنٹ کہنے ہیں، وہ تو میں کہوں گی۔

میں آپ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ دو چیزوں کے اوپر یہ سرکار آئی۔ ایک تو مہنگائی کا سوال تھا، جن پر ہماری سرکار گئی اور آپ کی سرکار کو موقع ملا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پورے دیش کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 60 سال بنام 60 مہینے، یعنی 60 سال میں کانگریس نے برباد کر دیا، اس کی جو پالیسیاں تھیں، اس کے جو پروگرامس تھے، جو ساری چیزیں تھیں، اس دیش کو برباد کرنے والی کانگریس ہے۔

اپ سبھا پتی جی، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آزادی کی لڑائی کو آپ کانگریس سے الگ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تیسری بات 'کانگریس مکت بھارت' کہی۔ اگر آپ 'کانگریس مکت بھارت' کہہ رہے ہیں، تو کچھ سوچ کر آپ یہ کہئے۔ یہ وہ کانگریس ہے، جس کی قیادت میں آزادی کی لڑائی لڑی گئی۔ برٹش پیریڈ، جو اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کہلاتی تھی، اس وقت یہاں کے

†Transliteration in Urdu Script.

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

بھوکے، ننگے، جاہل ہندوستانیوں کے مادھیم سے کانگریس کی قیادت میں وہ لڑائی لڑی گئی، تبھی ہم اپنے دیش کو اتنی بڑی طاقت سے مکت کروا پائے، لیکن آج آپ اس دیش کو یہ بتانا چاہے ہیں کہ ہم کانگریس مکت سرکار چاہتے ہیں، کانگریس مکت بھارت چاہتے ہیں۔

کانگریس کا اتہاس بہت وشال ہے، اتہاس سے آپ کانگریس کا نام ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ جب-جب بھی اتہاس لکھا جائے گا، تب-تب یہ بتایا جائے گا کہ آزادی کی سب سے بڑی جنگ کانگریس کی قیادت میں لڑی گئی۔ اگر اس میں کچھ مسنگ تھا تو وہ آپ کی پارٹی تھی۔ آپ کی پارٹی کا ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے، جس نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا ہو، جس نے انگریزوں کا ایک کوڑا بھی کھایا ہو یا جس نے انگریزوں کی کوٹھریوں میں جاکر اپنی جوانیاں بتائی ہوں۔

آج مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ سردار پٹیل کی اتنی عزت کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس تو کوئی ایسا لیڈر ہے نہیں، جس کی آپ بات کریں یا جس کا فریڈم موومینٹ سےتعلق ہو۔ آپ کے پاس ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہماری کانگریس کے جو بڑے زبردست لیڈر تھے، جن کا دیش کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، آپ ان کی عزت کر رہے ہیں۔ ہماری کانگریس کے اس لیڈر کو آپ اتنا بڑا سمّان دے رہے ہیں، جس کی آزادی کی لڑائی میں بڑا زبردست رول تھا اور آزادی کے بعد، دیش کے وکاس میں بھی جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے۔

اپ سبھا پتی جی، آج یہ کہا جا رہا ہے، '60 سال بنام 60 مہینے' میں ذرا سا آپ کو پیچھے ہسٹری بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ 60 سال میں کانگریس نے کونی کام ہی نہیں کیا ...(مداخلت)...

اپ سبھا پتی جی، 48-1947 کا جو پہلا بجٹ تھا، جو ہمارے آر.کے.شنمکھم چیٹّی جی نے پیش کیا تھا، وہ بجٹ 171 کروڑ روپے کا تھا اور وہ ڈیفسٹ بجٹ تھا. اس میں لگ بھگ 196 کروڑ روپے کا ایکسپینڈچر تھا. دوسرا اور تیسرا بجٹ، جو ہمارے شری جان متھائی جی نے پیش کیا تھا، وہ 155 کروڑ روپے اور 203 کروڑ روپے کا تھا. آج ہمارے وزیر خزانہ، ارون جیٹلی جی نے 15-2014 کا جو بجٹ پیش کیا ہے، وہ 17 لاکھ کروڑ روپے کا بجٹ ہے. 17 لاکھ کروڑ روپے کا جو بجٹ آج پیش ہوا ہے، وہ 60 سال کی ساری بربادی کا نتیجہ ہے، جس کا فائدہ آج آپ اٹھا رہے ہیں ...(مداخلت)... یہ کس نے کیا؟ یہ 17 لاکھ کروڑ روپے کا جو بجٹ آپ نے دیا ...(مداخلت)... آپ ذرا خاموشی سے سن لیجئے.

میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ 60 سال میں جتنی بھی ترقی ہوئی، وہ کانگریس کی ہی دین ہے. آپ کو اپنی آئیڈیولوجی صاف کرنی پڑے گی. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کی پارٹی کی آئیڈیولوجی کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کی وچاردھارا کیا ہے؟ آپ کی پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے؟ اب آپ سرکار میں ہیں، اس لئے آپ کو اپنی پارٹی کی آئیڈیولوجی بتانی پڑے گی. ہماری آئیڈیولوجی اور ہماری وچاردھارا بہت دن پہلے، جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، تبھی طے کر لی گئی تھی، ہم نے اپنے راستے تبھی طے کر لئے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آج ووٹ کے لئے ہم اپنی آئیڈیولوجی یا اپنی وچار دھارا بدل رہے ہیں. ہمارے راستے، ہماری منزلیں، یہ سارا کچھ آزادی سے پہلے ہمارے جو سیشن ہوا کرتے تھے، اسی میں طے کر لئے گئے تھے.

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، چھہ مہینے اس دیش میں جس طرح سے پرچار ہوا، اس کے لئے میں یہ ضرور کہوں گی کہ لوگ بولنے میں بہت استاد ہیں۔ پرائم منسٹر پورے دیش کے ہوتے ہیں، ایک پارٹی کے نہیں، لیکن مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، جو میں کہنا چاہتی ہوں۔

اقبال بڑا اپ-دیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے

گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا

آپ کو شاید یہ شعر سمجھہ میں نہیں آئے گا، لیکن ہماری بہن نجمہ وہاں بیٹھی ہیں، وہ آپ کو اس کا مطلب سمجھائیں گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش کو اگر چلانا ہے تو کسی آئیڈیولوجی پر چلانا ہوگا، کسی وچاردھارا پر چلانا ہوگا۔ نعرے بازی سےدیش نہیں چلتے ہیں اور اتنا عظیم دیش کس طرح ایسے چل سکتا ہے؟ ابھی پرسوں ہم 15 اگست منانے جا رہے ہیں۔ جب ہمارے دیش کے پرائم منسٹر، چاہے وہ جو بھی ہوں، لال قلعہ کی تاریخی فصیل سے ترنگا لہراتے ہیں، تو ہر ہندوستانی کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا ترنگا ہے، جس کے نیچے ہم نے آزادی کی لڑائی لڑی اور اتنے آگے بڑھے۔

اپ سبھا پتی جی، یہ جو ہماری منسٹری ہے اور آزادی کی لڑائی میں جس طرح سے آپ لوگوں نے - میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ کہہ کر کہ ہمیں 'کانگریس مکت بھارت' چاہئے، آپ ان لاکھوں ہندوستانیوں کا اپمان کر رہے ہیں، جنہوں نے ترنگے کے نیچے آزادی کی لڑائی لڑ کر آپ کو اس قابل بنایا، ہم لوگوں کو اس قابل بنایا کہ ہم یہاں بیٹھہ سکیں۔ ہمارا جمہوریت پر، سوشلزم پر اور سیکولرزم پر جو وشواس تھا، اس نے ہمیں آج یہاں تک پہنچایا۔ اس وقت سب ہندوستانی، ننگے، بھوکے اور جاہل ہندوستانی، جو اکٹھے لڑائی لڑ رہے تھے، ان

میں مذہب و ملّت کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ آج آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں۔ آج آپ 17 لاکھ کروڑ کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں اور 60 سالوں میں ہم نے جو کام کیا ...(مداخلت)...

اپ سبھا پتی جی، جس منسٹری کی بات ہو رہی ہے، آزادی کی لڑائی میں آپ لوگوں کا کوئی - خیر، پردھان منتری جی نے کہا کہ میں ابھاگا ہوں کہ میں اس لڑائی میں شامل نہیں ہو سکا۔ یہ بات صحیح ہے۔ لیکن اس عمر کے بہت سے لوگ ایسے ہیں، جن کو کم سے کم ایک رات کی سزا ملی ہوتی، تو ان کے پاس فریڈم موومینٹ کا ایک سرٹیفکٹ ہوتا۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ :

جب پڑا وقت گلستاں پہ، تو خون ہم نے دیا
اب بہار آئی، تو کہتے ہو تیرا کام نہیں ہے

اس لئے ہمیں سوچنا چاہئے، دیش چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اپ سبھا پتی جی، جس منسٹری کے ...(مداخلت)...

شریمتی کمم رانے : ...(مداخلت)... جنتا نے کیا ہے، ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ہے ...(مداخلت)...

شری اپ سبھا پتی : آپ بیٹھئے ...(مداخلت)...

محترمہ محسنہ قدوائی : جس منسٹری پر آج بحث ہو رہی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس کو دیکھیں، تو کانگریس نے ہمیشہ عورتوں اور بچوں کا خیال رکھا۔ کانگریس پارٹی کا اس دیش کی مہیلاؤں اور بچوں کے ساتھ یہ کمٹمینٹ تھا۔ سوشل سیکٹر میں اور خاص طور سے اس منسٹری میں ہمارا جو خرچہ ہوا،

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

یہ بہت پرانی بات ہے۔ کافی دنوں پہلے، اندرا جی نےپہلی مرتبہ 'اسٹیٹس آف وومین' پر ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ انہوں نے تمام باتیں کہیں تھیں، لیکن یہ منسٹری اسی کی ایک جڑ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سینٹرل سوشل ویلفئر کا بورڈ بہت پرانا ہے، جس کے نیچے ایک آٹونومس باڈی آتی ہے۔ مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 1958 میں جب ضلع میں کمیٹیز ہوتی تھیں، تو میں اس کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ 1958 میں، شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جب میں وہاں کی چیئرمین بنائی گئی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میں سرکار سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ منسٹری جو ہے، اس منسٹری کو صرف ایک منسٹری کی حیثیت سے مت دیکھئے، اس منسٹری کو صرف ایک ڈیپارٹمینٹ کی حیثیت سے مت دیکھئے۔ پہلے ایچ.آر.ڈی. ایک ڈیپارٹمینٹ ہوتا تھا۔ 2006 میں اس کو فل-فلیج منسٹری کا درجہ دیا گیا اور اس میں لاتعداد اسکمیں بنیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ یہ منسٹری ہندوستان کے مستقبل کو بناتی سنوارتی ہے، جس طرح سے ہیرا ایک پتھر ہوتا ہے، اس کی جتنی اچھی تراش ہوتی ہے، اتنا ہی قیمتی یہ پتھر ہوتا ہے۔ آج جو آنگن-واڑی چل رہی ہے، آج جو بچوں کی بات ہو رہی ہے، آج جو مہیلاؤں کی بات چل رہی ہے، اس کو ایک منسٹری کی حیثیت سے نہیں، بلکہ انڈیا کے مستقبل کے لئے، انڈیا کے بھوشنے کے لئے دیکھنا چاہئے۔ ہم ہندوستان میں ایک صاف ستھرے، صحت مند سماج کی، دماغی اور جسمانی طور پر صحت مند سماج کی جو رچنا کرنے جا رہے ہیں، اس میں یہ سب سے بڑی امپورٹینٹ منسٹری ہے۔

مجھے یہ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ اس کے سوشل سیکٹر کا بجٹ اب کی بار بہت کم ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ سوشل سیکٹر پر آپ کی سرکار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ بار بار کہا جا چکا ہے کہ سوشل سیکٹر میں یو۔پی۔اے۔ سرکار نے بہت پیسے خرچ کئے ہیں۔ اب معلوم نہیں کون سی اسکیم رہے گی اور کون سی جائے گی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کوئی اسکیم آپ نے ہماری بدلی نہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ ایک اسکیم اس میں بدلی اور بڑھائی ہے، وہ بھی اچھی ہوگی "بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ"۔ وہ بھی ایک اچھی اسکیم ہے، جس کے لئے آپ نے 100 کروڑ دئے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی نیتی ہے، جس کے ذریعے کانگریس نے برباد کیا؟ کس نیتی کے ذریعے کانگریس نے برباد کیا؟ وہ کون سے پروگرامس تھے، جن کے ذریعے کانگریس نے 60 سال میں اس دیش کو برباد کر دیا۔ ودیش منتری، ہماری بہن سشما سوراج کہہ رہی تھیں کہ ودیش نیتی میں کوئی فرق نہیں ہے، ایچ۔آر۔ڈی۔ منسٹری سے کہا گیا کہ وہاں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں ہم دیکھہ رہے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، تو کون سی ایسی نیتی تھی، جو آپ نے پورے دیش کو یہ بات بتائی کہ کانگریس کی نیتیوں نے اس دیش کو برباد کر دیا؟ اب یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ سیاسی پارٹیاں آتی ہیں، وہ لڑتی ہیں، سرکار لینے کے لئے لڑتی ہیں۔ لیکن اس طرح سے گمراہ کرنے کی بات نہیں ہونی چاہئے۔ آپ یہ جو اسکیمس چلا رہے ہیں، ان کے لئے آپ کو بہت سوچ سمجھہ کر قدم اٹھانا پڑے گا۔ ان میں بچوں کی بات کہی جاتی ہے، جیسا ابھی ستیش جی کہہ رہے کہ 40 کروڑ بچے اس ملک میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر چھٹا بچہ ہندوستان میں رہ رہا ہے اور اس چھٹے بچے کی کیا کیئر ہو رہی ہے، اس کے لئے کیا ہو رہا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

منسٹری کو بڑھا کر اس کو فل-فلیج درجہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری عورتوں کی جو بہت بڑی تعداد اس دیش میں ہے، اس کو پوری طرح سے ابھرنے کا موقع ملے۔ اس کا آل-راؤنڈ ڈیولپمینٹ ہو، کیوں کہ ماں جو ہوتی ہے، وہی بچے کو پیدا کرتی ہے اور وہی بڑا کرتی ہے، اس لئے بچے کی سب سے پہلی ٹریننگ اس کی ماں کی گود میں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری 80 فیصد عورتیں اور بچے گاؤں میں رہتے ہیں، اس لئے یو۔پی۔اے۔ کی سرکار نے اس مد میں گاؤں کی اور زیادہ دھیان دیا، تاکہ ہم ان بچوں کو بچا سکیں۔ آج لڑکوں کاٹراپ آؤٹ 50 فیصد سے کم ہے اور لڑکیوں کا ڈراپ آؤٹ 63 فیصد ہے۔ آج آپ کا ہر دوسرا بچہ اینیمک ہے۔ یہ جو اسکیمس ہیں، ان میں نیوٹریشن کا سوال ہے، امیونائزیشن کا سوال ہے، ارلی-ایجوکیشن کا سوال ہے، پری-اسکول ایجوکیشن کا سوال ہے، ایلیمینٹری ایجوکیشن کا سوال ہے، پریگنینٹ وومین کی دیکھ ریکھ کا سوال ہے، یہ ساری چیزیں اس اسکیمس میں ہیں۔ ایک طرح سے ایک ہیلدی نیشن تیار کرنا اور اس کو آگے بڑھانے کے لئے یہ اسکیمس ہیں۔ ہماری یہاں مورٹیلٹی ریٹ بہت بڑھا ہوا ہے، لیکن جس وقت ہمارا ملک آزاد ہوا تھا، اس وقت ہماری آبادی 36 کروڑ سے زیادہ تھی۔ ان کو کھلانے کے لئے ہمارے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا، ہم لوگ باہر سے کھانے کا سامان لاتے تھے۔ اس وقت برتھ ریٹ 39.9 فیصد اور ڈیتھ ریٹ 27.4 فیصد تھا۔ آج کی فیگرس کے مطابق آج ہمارا برتھ ریٹ20-22 فیصد ہے اور ڈیتھ ریٹ 7-4 فیصد ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا کام پچھلے 60 سال میں ہوا ہے .... آپ کو خیال ہوگا کہ پہلے جب کوئی بیماری پھیلتی تھی، تو وہ پوری کی پوری بستیوں کو لے کر چلی جاتی تھی، چاہے

وہ پلیگ ہو، چاہے وہ کالرا ہو، چاہے ملیریا ہو، چاہے وہ اسمال پوکس ہو۔ آج ان بیماریوں سے دیش مکت ہے اور ابھی جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، وہ ہیلتھ منسٹر تھے اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارا ہندوستان پولیو مکت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت روگ مکت بھارت ہو، ہنسا مکت بھارت ہو۔ ہمارا بھارت بیماری مکت بھارت ہو، ہمارا بھارت چھواچھوت مکت بھارت ہو، ہمارا بھارت شوشن مکت بھارت ہو، ہمارا بھارت ایک ایسا ہنستا-کھیلتا-کھلکھلاتا بھارت ہو، جو بھائی چارے، امن اور شانتی کے ماحول میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن آپ چاہتے ہیں کانگریس مکت بھارت۔

آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو سرکار آتی ہے، وہ کسی ایک پارٹی کے لئے نہیں آتی ہے، وہ دیش کے لئے آتی ہے اور دیش کے ہر طبقے، ہر فرقے کے لئے ہوتی ہے۔

اس دیش کا جو سنودھان بنا ہے، وہ پورے دیش کی تصویر سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر اس کی پراروپ سمیتی کے چیئرمین تھے۔ اس وقت تو اور بھی بہت سے ودوان لوگ تھے، لیکن ان کو ہی اس وقت اس کا چیئرمین کیوں بنایا گیا؟ ان کو اس کا چیئرمین اس لئے بنایا گیا، کیوں کہ انہوں نے حقیقی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اس وجہ سے اتنے قابل اور اتنی زبردست سوچ رکھنے والے کو اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ جو سنودھان بنا، وہ ساری تصویر سامنے رکھ کر بہت سوچ سمجھ کر بنا۔ آج جس قسم کی باتیں باہر سے آرہی ہیں... آج اتنا کشیدہ ماحول ہے، آج پوری سوسائیٹیز کا کمیونلائزیشن ہو رہا ہے۔ آج مختلف کاسٹس کا کمیونلائزیشن ہو رہا ہے۔ ہمارا جو انفلیشن ریٹ 7-2 فیصد تھا، آج وہ 10 فیصد ہو گیا ہے۔

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

آج مہنگائی اپنی چرم سیما پر ہے۔ جن سے آپ نے ووٹ لیا ان کو آپ سے کبھی یہ امید تھی اور صحیح امید تھی کہ کم سے کم آپ تین مہینے میں بہت وقت آپ کو نہیں ہوا، لیکن ان تین مہینوں میں عوام کو آپ سے یہ امید تھی کہ آپ کم سے کم مہنگائی کریں گے اور اگر کم نہیں کریں گے تو کم سے کم وہاں تو رکھیں گے جہاں یوپی اے گورنمنٹ چھوڑ گئی تھی۔ آج اس سے دوگنی پرائسز ہیں۔ سب کے گھروں میں معلوم ہے کہ کیا آرہا ہے کیا نہیں اور کس طرح سے آرہا ہے۔ تو آج عوام پریشان ہے آپ آئے ہم عوام کا فائدہ چاہتے ہیں ہم عوام کی سہولیت چاہتے ہیں۔ آپ دیں بہت بہتر ہے لیکن لگتا ہے کہ کہیں تین مہینے میں مہنگائی تو کم ہو ہی سکتی تھی۔ لیکن آج جو حالات پیدا ہوگئے ہیں دیش کے کانگریس نے ساٹھ سال میں جو سب سے بڑا کام میرے خیال سے کیا، وہ اس دیش میں سدبھاؤنا بنائے رکھنے کے لئے، اس دیش میں امن اور شانتی کا ماحول بنائے رکھنے کے لئے، اس دیش میں بھائی چارے کا ماحول بنائے رکھنے کے لئے کیا، آج لگ رہا ہے کہ اس ماحول میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہورہی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو یوگدان ہے وہ کچھ لیڈر صاحبان کا ہے، جو روز ایسے بیان دیتے ہیں! خدا کے لئے ان کو روکیئے۔ اس لئے کہ اگر اس دیش میں ایکتا نہیں رہی، سب سے بڑی طاقت ہے اس دیش کی ایکتا، اس دیش کا بھائی چارہ۔ اگر وہ نہیں رہتاتو یہ دیش بے روح ہوجائے گا۔ اس لئے .... (مداخلت).....

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Mohsinaji, how many more minutes do you want because I want to decide about lunch?

†[**محترمہ محسنہ قدوائی:** مجھے کم سے کم 20-15 منٹ تو چاہئے]

†Transliteration in Urdu Script.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : I think, after that ...*(Interruptions)*... No, no; let her complete. After that, we will adjourn for lunch. ...*(Interruptions)*...

†[**محترمہ محسنہ قدوائی:** اُپ سبھاپتی مہودے، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا۔

میں دو تین باتیں اور کہنا چاہتی ہوں۔ آج یہ جو منسٹری کام کررہی ہے اور اس میں جس طرح کا پورا ڈھانچہ بنا ہوا ہے۔ وہ ایک اچھا ڈھانچہ بنا ہے۔ اس کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ عورت کو، بچے کو ہر طرح سے آگے بڑھنے کے لئے ڈیولپمنٹ بھی ہو، اکانامیکلی بھی ہو، پالیٹکلی بھی ہو، ساری کچھ اس میں چیزیں تھیں۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارا جو سسٹم تھا یہ جو کریکٹر بلڈنگ کی بات ہے، کہنا چاہئے کہ جو سوشل پرابلمس آرہی ہیں، وہ کیوں آرہی ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا؟ یہ صرف ایک نظر سے دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ آج جو سب سےبڑا ہمارا سسٹم تھا جوائنٹ فیملی سسٹم، جہاں بچوں کا کیریکٹر بگڑنے نہیں دیا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی ہوتا تھا ان کو دیکھنے کے لئے، آج وہ ختم ہوگیا۔ آج ہمارے یہاں جو ٹیچرس کا رتبہ ہوتا تھا، آج ٹیچرس کا اور اسٹوڈنٹس کا وہ رشتہ نہیں رہا۔ جو ہمارے گھر میں ایک ماحول ہوتا تھا، ایک مذہبی ماحول ہوتا تھا، انہیں تعلیم دیتے تھے کہ مذہب صرف ڈسپلن سکھاتا ہے، مذہب یہ سکھاتا ہے کہ کوئی اوپر ہے جس سے ڈرنا ہے۔ آج وہ ساری چیزیں ختم ہوگئی ہیں۔ آج ورکنگ کپل ہیں، آج وہ دونوں نکل جاتے ہیں، ان کے گھروں میں بچوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آج ایجوکیشن کے ذریعہ اور سماج کے ذریعہ آپ کو یہ جاگرتی لانی پڑیگی۔ ہماری منتری جی بیٹھی ہیں، میں ان سے ایک

†Transliteration in Urdu Script.

درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے لیے سب سے بڑی خوراک سب سے بڑی بات ہے والدین کا، پیرینٹس کا محبت اور ان کا افیکشن اور ان کا اٹینشن جو ان کو آج نہیں مل رہا۔ میں تو کہوں گی کہ آپ کو ایک موومنٹ چھیڑنا چاہئے کہ ماں باپ بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، تاکہ وہ بگڑیں نہیں۔ اس لئے وہ بچوں کو بگڑنے میں بہت سی چیزیں سامنے آرہی ہیں۔ جب تک سماج نہیں بدلے گا اور انفارچیونیٹلی مجھے یہ کہنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ پچھلے دنوں ساری سوسائٹی میں گراوٹ آئی ہیں۔ سوسائٹی ایز اے ہول میں deterioration آیا ہے۔ وہ آپ کو ہر جگہ ملے گا، ہر صوبے میں ہر جگہ ملے گا تو جو یہ آنگن واڑی ہے، آپ کی انٹیگریٹیڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ اسکیم جو ہیں، سروسز جو ہیں وہ اس لئے شروع کی گئی تھیں کہ بچوں کے لئے ایک اچھی ہیلدی سروسز ہیلتھ کی، امیونائیزیشن کی تھی۔ لیکن آپ کے پاس انفرسٹرکچر نہیں ہے اور یہ امپلی منٹ کرینگی اسٹیٹ گورنمنٹ۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس کوئی انفراسٹرکچرنہیں ہے۔ مثال کے طور پر امیونائزیشن کی بات ہے۔ امیونائزیشن میں ضروری ہے کہ کوئی چین آپ کے پاس ہو وہ چین کہاں ہے آپ کی ہر منسٹری میں، ہر اسٹیٹ میں؟ تو یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی پڑینگی۔

سر، آنگن واڑی ورکرس اس اسکیم کا سب سے اہم فیکٹر ہے۔ وہ سماج کی ہوتی ہے اور سماج میں participation of community سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اس میں participation of community سب سے زیادہ ہو تاکہ بچّے آرام سے اس ماحول میں رہ سکیں۔ سر، میں مانتی ہوں کہ سرکار بہت پیسہ ایک دم سے نہیں لگا سکتی، لیکن اس کے لئے ہمیں اُپائے ڈھونڈنے چاہئیں۔ آج تمام اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ وہاں پکّے مکان نہیں ہیں، کہیں بچےتالاب میں گررہے ہیں، کرپشن ہے۔ ان سب کو روکا جانا چاہئے۔

سر، یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں 13 لاکھ سے زیادہ آنگن واڑی سینٹرس ہیں اور آنگن واڑی ورکرس آج پانچ کروڑ بچے تک اور 2.5 کروڑ pregnant and nursing mothers تک پہنچ چکی ہیں۔ یہ اسکیم بہت اہم ہے، یہ دیش کو اٹھانے والی اسکیم ہے اور اسے یہ سوچ کر بنایا گیا تھا کہ بچے صحت مند ماحول میں پیدا ہوں اور اچھے ماحول میں ان سینٹرس پر پلیں و بڑھیں۔

سر، جہاں آنگن واڑی کے سینٹرس ہیں اور پکّے مکان نہیں ہیں، ان کے لئے آپ ایک نقشہ بنوائیے۔ یہ نقشہ پہاڑی علاقوں کے لیے الگ ہو اور میدان کے لئے الگ ہو کہ انہیں وہاں کون سی چیزیں چاہئیں۔ منتری مہودیہ، میں آپ کو ایک اہم سجھاؤ دینا چاہتی ہوں، پتہ نہیں میرے ساتھی ممبر آف پارلیمنٹ اس کے لیے تیار ہونگے یا نہیں۔ وہاں پنچایت سے آپ کو جگہ مفت ملے گی، آپ کو ''منریگہ'' کے ذریعہ لیبر مفت ملیگی، آپ کو صرف میٹیریل لانا ہوگا۔ اگر اس کے لیے ہر سانسد، ہر سال ایک کروڑ روپے دےدیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ دو چار سال میں اس کی بلڈنگ بن کر تیار ہوجائیگی۔ دوسری بات، میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بچے وہاں پڑھتے ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کہ ان کو کھانا صاف ستھرا نہیں ملتا، ان کو پوشٹک آہار نہیں ملتا کیونکہ اس میں سب سے بڑا سوال nutrition کا آتا ہے۔ اگر بچوں کو وہاں پوشٹک آہار ہی نہیں ملیگا تو اس اسکیم کا کیا لابھ ہوگا؟ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مڈڈے اسکیم میں آپ کی سرکار نےایک پیسہ بھی نہیں بڑھایا ہے اور نہ اس کا expension کیا ہے۔ سر، مڈڈے میل اسکیم دنیا کی سب سے بڑی اور unique اسکیم ہے۔ Integrated Child Development Services دنیا میں ایک انوکھی اسکیم ہے۔ یہ ایک اسکیم ہے جس کی سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بنیادی اسکیم ہے۔ اس لئے آپ کو

ان کے سینٹرس پر خاص دھیان دینا پڑیگا۔ اس اسکیم کی سب سے بڑی چیز ہے، selection of Anganwadi workers. منتری جی، وہاں تمام پڑھی لکھی عورتیں بھی ہیں، کھلے دماغ کی ہیں۔ آپ کو ایسی عورتوں کو اس کام کے لئے منتخب کرنا پڑیگا۔ وہاں بچوں کے ساتھہ discrimination کی شکایتیں آتی ہیں۔ دلت یا مسلم طبقے کے بچوں کو الگ بٹھاکر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ پھر اس اسکیم کا کیا فائدہ ہوا؟ اس وقت تو integration ہونا چاہئے۔ اس لئے میں چاہونگی کہ selection of Anganwadi workers اور helpers میں پوری ٹیم کا سلیکشن ایسا ہو کہ وہ اپنے کام میں زیادہ سے زیادہ کمیونٹی کی ہیلپ لیں۔ جو بچے وہاں پڑھنے آتے ہیں، آپ ان کے ماں باپ کو کُکنگ میں انوالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کی تقرری وہیں سے کیجئے اور ان بچوں کے ماں باپ کو انوالو کیجئے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لئے صاف ستھرا کھانا سُنِشچِت کرسکیں۔ سر ان ورکرس کا کام جیسے immunisation ہے health check-up ہے، کارڈس مینٹین کرنے کا کام ہے، بچوں کو اچھی باتیں بتانے کا کام ہے۔ یہ سب بہت اہم کام ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے امپورٹنٹ منسٹری کوئی دوسری نہیں ہوسکتی کیوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آج ماں باپ کے پاس بچوں کے لئے وقت نہیں ہے۔ یہ ورکرس ماں باپ کا رول نبھاتے ہیں۔ یہ وہاں کی عورتوں کو بتاتی ہیں کہ ان کے بچوں کو کس طرح کے پوشٹک آہار کی ضرورت ہے، کس طرح سے بچوں کی پرورش ہو۔

سر، بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ آج ان کے پاس تربیت نہیں ہے، اس لیے میری آپ سے اور پردھان منتری جی سے بھی درخواست ہے کہ اس منسٹری کو پورا خرچہ دیا جانا چاہئے تاکہ یہ منسٹری اچھی طرح سے چل سکے۔ دیش کی عورتوں کو وِکست ہونے کا پورا موقع ملے اور جو آج کے

ہندستان کا نقشہ ہے، اس میں آج کے بچّے کل کے ذمہ دار ہندستانی بن سکیں۔ سر، میں آخری دو منٹ لینا چاہتی ہوں۔

سر، میں دو منٹ اور لینا چاہوں گی۔ ہمارے دیش کے سب کے رائٹس ہیں، چاہے وہ کسان ہوں، مزدور ہوں، مہیلائیں ہوں، لیکن بچوں کے رائٹس نہیں ہیں، کیوں کہ وہ ووٹرس نہیں ہیں۔ اگر بچے بھی ووٹرس ہوتے، تو شاید لوگ ان کی زیادہ دیکھ بھال کرتے۔ ہم سبھی راجیو جی کی اس اسکیم کو لے کر انہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے 18 سال کے بچوں کو ووٹ رائٹ دے دیا۔ اس لئے آج چھوٹے بچوں کی بہ نسبت 18 سال کے بچوں کی زیادہ پوچھ ہے اور یہ سب پولیٹکل استعمال کے لئے ہے۔ اس وقت جب راجیو جی 18 سال کے بچوں کو ووٹنگ رائٹ دینے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ جو لوگ کیبنیٹ میں تھے، اتفاق سے میں بھی اس میں تھی، میں نے دیکھا، زیادہ تر لوگ ان کی اس بات کے خلاف تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اگر آپ ان کو ووٹنگ رائٹ دے رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی آپ کو ووٹ نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ نہیں دیں گے، لیکن کبھی ایسا وقت آئے گا، جب اس دیش کے نوجوان کو دیش کی ذمہ داری لینی ہوگی اور اسے وہ ذمہ داری لینے کے لئے ہمیں تیار کرنا پڑے گا، نوجوانوں کو آگے کی ذمہ داری دینی ہے۔ ہندوستان کے لئے ان نوجوانوں میں ذمہ داری کا ایک جذبہ ہونا چاہئے، نیشن کے لئے ایک جذبہ ہونا چاہئے۔ آپ دیکھئے، آج جو زیادہ تر ووٹرس ہیں، وہ 18 سال کے لڑکے لڑکیاں ہیں۔

سر، میں بولنا تو بہت چاہتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پاس بھی مجھے دینے کے لئے وقت کم ہے، اس لئے میں اپنی آخری بات کہوں گی کہ آپ اس منسٹری کی امپورٹینس کو سمجھئے، اس منسٹری کو اس نظر سے دیکھئے کہ آگے آنے والے وقت میں ہندوستان کا نقشہ کیسا ہونا ہے، کیسے بچوں کا وکاس ہونا ہے، کیسے بچے پیدا ہونا ہیں، آگے کیا ہونا ہے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر اس منسٹری کو ٹریٹ کیجئے، اس کو ایز۔اے۔ منسٹری ٹریٹ مت کیجئے۔ بہت بہت دھنیواد۔ (ختم شد)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you Mohsinaji. The House is adjourned to meet at 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at twelve minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Prabhat Jha.

श्री प्रभात झा : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर हो रही चर्चा में बोलने के लिए मुझे समय दिया। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DEREK O'BRIEN (West Bengal): Where is the Minister? ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No Minister! ...*(Interruptions)*... No Minister here. ...*(Interruptions)*... See, I will tell you the concerned Minister is in the other House. I think, there is a voting on an important Bill. But any other Cabinet Minister should come. A Cabinet Minister should come.

SHRI DEREK O'BRIEN: Since there is no Minister present here, please adjourn the House for five minutes. ...*(Interruptions)*... Please adjourn the House for five minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are Ministers from Rajya Sabha. They can come. ...*(Interruptions)*... They should not be there.

SHRI DEREK O'BRIEN: There are Ministers from Rajya Sabha. They can come.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I agree. ...*(Interruptions)*... Sit down, I will take a decision. Is there the Whip of the Party? ...*(Interruptions)*... I have heard you. I got the point. If there is the Whip of the Party ...*(Interruptions)*... In Treasury Benches nobody is responsible ...*(Interruptions)*... It is like this; if the concerned Minister has to be present in the other House for voting purpose, one Minister who is from Rajya Sabha should come. Nobody is here. ...*(Interruptions)*... I am adjourning the House for five minutes.

The House then adjourned at four minutes past two of the clock.

The House reassembled at nine minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : सर, अभी भी कोई मंत्री मौजूद नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश चन्द्र मिश्रा : अभी भी कोई मंत्री नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No Minister. ...*(Interruptions)*...

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, adjourn the House for the day. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. V.P. Singh Badnore, why don't you go and get the Minister? ...*(Interruptions)*... The House is adjourned for another five minutes.

The House then adjourned at ten minutes past two of the clock.

The House re-assembled at fifteen minutes past two of the clock,

MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

श्री प्रमोद तिवारी : सर, मिनिस्टर साहब आ गए हैं। ...(**व्यवधान**)... सर, एक बहुत important बात है। सर, यह पहली बार इतिहास में हो रहा है कि सदन एक बार तो स्थगित हुआ। आपने माननीय मंत्री जी को बुलाया। सर, उसके बाद भी ये लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... तब भी नहीं आए। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अब मंत्री आ गए हैं। ...(**व्यवधान**)... मंत्री आ गए हैं।

श्री प्रमोद तिवारी : अगर आपकी बेइज्जती हो, तो हम कैसे बर्दाश्त करें? यह सदन का अपमान हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : अब मंत्री आ गए हैं। ...(**व्यवधान**)... आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग बैठिए। ...(**व्यवधान**)... आप लोग बैठिए।

श्री प्रमोद तिवारी : सर, आज मुस्कराने से काम नहीं चलेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : सर, ये हाउस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : तिवारी जी, आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)...

DR. K. KESHAVA RAO (Andhra Pradesh) : Sir, you are the most capable Deputy Chairman we have ever seen and we want you ...*(Interruptions)*...

श्री परवेज़ हाशमी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) : सर, कन्सर्न्ड मिनिस्टर भी हाउस में नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY (Gujarat): Sir, that is not even the issue. The issue is that the Government does not seem to be taking this House seriously. The other day, the Leader of the House was sitting in the Central Hall when we were discussing the Finance Bill here. The same thing is happening now. ...*(Interruptions)*... We just can't see this sort of a situation.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let me tell you. ...*(Interruptions)*...

DR. K. KESHAVA RAO: Sir, I wish to state. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now please take your seat. ...*(Interruptions)*... Shri Balagopal, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Shri Keshava Rao, please take your seat. आप बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... You have made your point. Now, please sit down.

The point is this. I know that the voting is going on in the other House on crucial Amendments, and Ministers, who are Lok Sabha Members, have to be there. But there are Ministers who are Rajya Sabha Members. And the Parliamentary Affairs Minister is also a Rajya Sabha Member. When the voting is going on there, the Ministers, who are Rajya Sabha Members, can be here. I am not saying that for every Minister. But one Cabinet Minister should be there. I know that the concerned Minister for this discussion is the Lok Sabha Member and she has to be there. But one Cabinet Minister should be there. I would expect the Government to take a little more seriously this kind of issues. Thank you.

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, you adjourn the House. We should not be discussing this in the absence of the concerned Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That is enough.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत) : उपसभापति महोदय, आसन्दी से जो भावना आपने व्यक्त की है, मैं उसका सम्मान करता हूं और खेद व्यक्त करता हूं कि उस समय हम हाउस में उपस्थित नहीं हो पाए थे। मैं माननीय सदस्यों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि श्रीमती मेनका संजय गांधी जी चूंकि लोक सभा की मेम्बर हैं और उधर संविधान संशोधन विधेयक पर वोटिंग हो रही है, इसलिए वे उधर हैं। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में आप जो कुछ बोल रहे हैं, उसको हम नोट करेंगे और जब वे जवाब देंगी, तो आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगी। आप सहयोग करें।

श्री उपसभापति : श्री प्रभात झा। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी : सर, महिला एवं बाल विकास मिनिस्टर नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now the Cabinet Minister is here and we can start. Shri Prabhat Jha.

श्री प्रभात झा : आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा करने के लिए समय दिया है। महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 (3), अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 53क (5) और अनुच्छेद 243 की एक नहीं अनेक धाराएं दी हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि देश की महिला और बाल को बहुत अधिकार दिए गए हैं। मैं अपना वक्तव्य इससे शुरू करूंगा, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सरकार में आते ही महिलाओं और बालकों के लिए बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इस देश में मां और बहनों का सर्वोच्च् स्थान होगा। अगर हमें 21वीं सदी में सर्वोच्च बनना है, तो पहले मां-बहनों को सर्वोच्च बनाना होगा। हमारी सांस्कृतिक विरासत में मां का स्थान सर्वश्रेष्ठ होता है। जहां भी पवित्रता और शुद्धता है, वहां मां नजर आती है। अगर गंगा के प्रति श्रद्धा है, तो उसे मां कहेंगे। भारत के प्रति

श्रद्धा है, तो उसे भी हम मां कहेंगे। गाय के प्रति भी हमारी यही बात रहती है और यही भाव रहता है। हजारों सालों की गुलामी की वजह से हमारे भीतर कई कमियां आई हैं। 18वीं शताब्दी में बच्ची को उसके जन्म के साथ दूध के पतीले में डुबोकर मार दिया जाता था। देश आजाद होने के बाद यह लग रहा था कि हम आधुनिक भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। सामान्य जीवन में नारी का स्थान क्या होगा, यह हम दुनिया को दिखाएंगे। कभी-कभी तो हमें लगता है कि आज हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, जो 18वीं शताब्दी से भी बदतर है, क्योंकि तब उसे जन्म लेने का अधिकार तो दिया जाता था, लेकिन आज तो जन्म लेने से पहले ही उसे मार दिया जाता है। आज 21वीं शताब्दी में मां के पेट में ही बेटी को मार दिया जाता है। यह दर्द और पीड़ा क्या 21वीं शताब्दी में हमें सिर उठाने की ताकत देती है? हमें आधुनिक स्थान बनाना है, तो उसकी पहली शर्त है, मां और बहनों को सर्वोच्च स्थान मिले। यह बात इस देश के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ने कही है। आपको प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य से यह प्रतीत हो गया होगा कि इस देश के प्रधानमंत्री, मां और बेटी को किस स्थान पर रखते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं कि अगर आप इस देश के किसी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, अगर वह स्टेशन हो, फुटपाथ हो, किसी बड़े मार्केट के आस-पास जाएं, तो आपको भारत की माताओं, बहनों और बच्चों की स्थिति देखने को मिल जाएगी। ऐसे हालात क्यों हुए है? क्यों बदलाव नहीं आया? मैं यह मानता हूं कि यह जिम्मेदारी सिर्फ मंत्रालय की नहीं है, 125 करोड़ की आबादी वाले देश में यह एक-एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। केवल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही इस देश को सुधार नहीं सकता, महिला एवं बालक की आबादी 70 फीसदी है। जब हमारी नजर आंकड़ों पर जाती है, तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि भारत में मातृत्व की स्थिति क्या है? भारत में असुरक्षित प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु के आंकड़े क्या हैं? प्रसव के दौरान विश्व में होने वाली जो मृत्यु की संख्या है, उसका सबसे बड़ा आंकड़ा भारत में पाया जाता है। देश में प्रति-वर्ष गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान 50 हजार माताओं, बहनों की मौत हो जाती है। देश में गर्भावस्था के कारणों से प्रत्येक 9 मिनट में एक गर्भवती महिला की मौत होती है। यह राजनीति से जुड़ा मसला नहीं है, यह न उस तरफ का मसला है, न बीच का मसला है और न इधर का मसला है। यह मसला भारत की अस्मिता का है। महिला भारत की संस्कृति है और सनातन धर्म में उसका बहुत बड़ा स्थान है। हमने नारी को पूजने की बात कही है, इसलिए लगभग 35 प्रतिशत महिलाएं अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के अभाव में तथा 20 प्रतिशत महिलाएं यातायात तथा दूरसंचार सुविधाओं के अभाव में स्वास्थ्य केन्द्रों तक नहीं पहुंच पाती हैं। यह आजादी के 67 सालों की कहानी है। यह अभी नहीं हुआ है, इसके लिए किसी का दोष नहीं है। हमने इसको मूवमेंट के रूप में नहीं लिया, हमने इसको आंदोलन के रूप में नहीं लिया। अगर हम इसे राजनीति और मंत्रालय से ऊपर उठकर लेते, तो आज जो विश्व की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं सर्वे करती हैं और सर्वे के दौरान भारत को 128वें स्थान से 115वें स्थान पर रखती हैं, वे इस स्थान पर नहीं रखतीं। इसमें इतना ही नहीं है, आप गांव में जाइए, वहां पर डॉक्टर्स की बहुत भारी कमी है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण टीम वर्ष 2005-06 के अनुसार आज भी देश के ग्रामीण अंचलों में मात्र 31 प्रतिशत महिलाओं का संस्थागत प्रसव होता है। यह महिलाओं की स्थिति है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने महिला को कहां पहुंचाया है, हमारी प्रगति के सोपान कहॉ तक तय हुए हैं, हमने विकास की कौन सी दर पार की है, उसके मानक को कहां तक स्थापित किया है। अगर आप बच्चों की कहानी सुनेंगे तो आपको हालत और खराब लगेंगे। भारत में हर साल करोड़ों बच्चे मरते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे भूख से मर रहे हैं। गोदाम अनाज

[श्री प्रभात झा]

से भरे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गेहूं खोल दो, लेकिन आज भी कुपोषण और अन्न के अभाव में लाखों बच्चों की मौत होती है। दो साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने जनविज्ञान केन्द्र में बताया था कि करीब 82 फीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। देश में 17 करोड़ से ज्यादा बच्चे और किशोर ऐसे हैं, जिनकी आज भी बहुत गंभीर हालत है। भारत में 14-18 साल की उम्र वर्ग में 4 करोड़, 20 लाख बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? 21वीं सदी का भारत कैसा बनेगा? जब भारत का भविष्य किसी स्कूल के द्वार पर नहीं जाएगा तो वह कैसे पढ़ पाएगा? यह देश का उत्पीड़न है, पीड़ा है। यह भारत की पीड़ा है, यह किसी पार्टी या सरकार की पीड़ा नहीं है। हमें इसको समझना होगा। ये अंधेरे के रास्ते हैं, जो उजाले की तलाश मांग रहे हैं।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पिछली सरकारों ने भी बहुत बजट दिए हैं, खूब पैसा दिया है, लेकिन उसका आकलन कभी नहीं होता है। गांव की पंचायत में क्या हो रहा है, यह सचिवालय और देश की संसद को पता होना चाहिए, सरकार को पता होना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन कैग ने यू.पी.ए. सरकार और अनेक राज्य सरकारों पर उंगली उठाई है। जहां बी.जे.पी. की सरकार रही होगी, कैग ने वहां भी उंगली उठाई है। यू.पी.ए. सरकार को कैग की एक नहीं, अनेक बार यह फटकार पड़ी है कि आप इस राशि को खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं? आगे चलेंगे, तो मैं आपको एक-एक आंकड़ा देना चाहूंगा। महिलाओं के लिए 'प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहायता योजना' है, यदि आप 2007 से लेकर 2012-13 के आंकड़े देखेंगे, तो पता चलेगा कि इस योजना पर आधे पैसे भी खर्च नहीं किए गए। केंद्र सरकार ने जो पैसे दिए हैं, वे पैसे इस योजना के तहत खर्च नहीं किए गए। ''समेकित बाल संरक्षण योजना'' में 2009-10 में 60 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन खर्च सिर्फ 40 करोड़ हुए, 2010-11 में 300 करोड़ दिए गए, खर्च 115 करोड़ हुए, 2011 में 270 करोड़ दिए थे, खर्च हुए 170 करोड़, 2012-13 में 400 करोड़ रुपये दिए, खर्च हुए 254 करोड़ रुपये। यह सिर्फ इस योजना की बात नहीं है, एक और योजना है- ''स्वाधार योजना''। ''स्वाधार योजना'' की हालत क्या है, मैं आपको बतलाता हूं। इस योजना में 20 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन खर्च 14 करोड़ हुए, उसके बाद 15 करोड़ दिए गए, खर्च हुए 10 करोड़। इस योजना की इस कदर हालत खराब है कि हम सरकार द्वारा दिए गए पैसे भी खर्च नहीं कर पाते हैं। आखिर प्रगति कैसे होगी? हम कैसे और किसको धोखा दे रहे हैं? अगर इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग होती, इनका आकलन होता, तो निश्चित तौर पर उन पर भी हमारी बातें होती। ''केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान'' पर, यह प्राधिकरण है, इस संस्थान को भी लगातार पैसे दिए, लेकिन जितने पैसे दिए गए, वे खर्च नहीं हुए। यह कौन करेगा? इसकी देखरेख कौन करता है?

मित्रो, सिर्फ इतना ही नहीं है। मैं आपको गांव की एक छोटी-सी कहानी सुनाता हूं। मैं गांव का रहने वाला हूं। मेरे बाबा थे। मेरे घर में ग्राम सेवक हुआ करते थे। मेरे घर पर एक सेवक हुआ करता था, उनका नाम सुनमा था। जब उसकी बेटी जवान हुई, तो मेरे बाबा के सिर पर सलवटें पड़ी, वे चिंतित हुए। उन्होंने एक दिन सुनमा को बुलाया और कहा कि, ''सुनमा तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, इसके लिए लड़का ढूंढ़ो।'' मेरे बाबा बहुत पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन भारतीय संस्कृति और परंपरा में वे सेवक के प्रति अपनी जिम्मेदारी जानते थे। उस समय मैं बहुत छोटा था। मैंने सोचा कि वह तो दूसरी जाति का है, बाबा उसके लिए क्यों चिन्ता कर रहे हैं? मेरे पिता जी जब

मुम्बई में आए, तो उन्होंने कहा कि देखो, सुनमा की बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। आज कितना परिवर्तन हो गया है? सदन भी मेरी बात स्वीकार करेगा कि आज मालिक के घर में नौकर की बेटी जवान होती है, मालिक की नीयत बदल जाती है, उसको यह चिन्ता नहीं होती कि उसकी शादी होगी या क्या होगा? यह कैसा परिवर्तन आया है? यह कैसा भौतिकवादी युग आया है? इस परिवर्तन से हमें टक्कर लेनी होगी। यह टक्कर नैतिक बल के आधार पर ली जाएगी। इसके लिए मोरल अथॉरिटीज़ खड़ी करनी पड़ेंगी। जब तक ये दीवारें खड़ी नहीं होंगी, जब तक हम लोग आगे नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा, चाहे मंत्रालय जितना पैसा खर्च कर ले। चौपालें आपको आवाज लगा रही हैं, गांव की पंचायतें आपको बुला रही हैं। वर्षों हो जाते हैं, जिस गांव ने हमें पैदा किया, उस गांव में हम देखने तक नहीं जाते हैं, लेकिन हम भाषण में गांव का दुख जरूर प्रकट करते हैं। गांव की चिन्ता हमारे भाषणों में जरूर होती है। हाल ही में एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय परामर्श और प्रबंधन संस्थान ने अपने एक सर्वेक्षण में कहा है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर किए गए सर्वेक्षण में भारत को 128 देशों में 115वां स्थान मिला है। आजादी के 67 साल बाद भारत को यह स्थान मिला है। किसको दोष दें? किससे कहें? ''किससे गिला, किससे शिकायत करें, लूट ली दुल्हन डोली के ही कहारों ने।'' किससे बात कही जाए? सर्वेक्षण में कहा गया कि बौद्धिक क्षमता के मामले में विश्व में भारत की 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिससे हर साल 55 लाख महिलाएं कार्यक्षेत्र में जुड़ रही हैं। भले ही भारतीय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में सफल हों, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण और पेशेवर सफलता में वे मात खाती हैं।

अब मैं महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करना चाहता हूं। एक निर्भया कांड हुआ, तो पूरा भारत हिल गया, मोमबत्तियां जलने लगी थीं। इतने निर्भया कांड होते हैं हर गांव में। आप झाबुआ चलिए, आप राजस्थान चलिए, आप कर्णाटक चलिए, आप तमिलनाडु चलिए। वहां के गांवों में होने वाली त्रासदी के बारे में कौन सा अखबार लिखता है और कौन सा चैनल उसे दिखाता है? इन चैनल्स की किरणें वहां तक नहीं जाती हैं। रोज बेमौत मरा करते हैं ये लोग। उस सच्चाई को समझने की कोशिश करनी होगी। आज आज़ादी के 67 साल बाद बोकारो के एक गांव में पंचायत का मुखिया आवाज लगाता है कि जाओं, अगर तुम्हारे साथ इसने ज्यादती की है तो तुम भी जाकर रेप करो। यह कहने का अधिकार इस आज़ाद भारत में कौन देता है? इतनी सामर्थ्य और इतनी शक्ति उसमें कैसे पैदा होती है? यह अनैतिक साहस कहां से आता है? यह नहीं आना चाहिए। इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी यहां बैठे एक-एक लोगों की है। अगर हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के आंकड़े देखें, तो खुद को यह लगता है कि क्या ये भारत के आंकड़े हो सकते हैं? वर्ष 2011 में भारतीय दंड संहिता के तहत 2,19,142 केसेज़ महिला अपराध से संबंधित हैं और शर्मनाक बात यह है कि उनमें से बलात्कार की 24,205 लज्जाजनक घटनाएं इस देश में हुई हैं। हम और आप तो अखबारों की सुर्खियों में जो पढ़ लेते हैं, उसी को घटना मानते हैं, लेकिन गांवों में होने वाली घटनाओं को दूरदराज के अंचलों में होने वाली घटनाओं को कौन देखेगा? ये तो केवल बलात्कार के आंकड़े थे। इसके अलावा, लज्जाजनक शीलभंग करने की 42,967 घटनाएं और यौन उत्पीड़न की 85,000 से अधिक घटनाओं के आंकड़े भी हैं। इतना ही नहीं, विधायिका द्वारा बनाए गए अनेक कानूनों की धता बताते हुए लोग धृष्टता से इस काम को करते हैं। इसलिए आज महिलाएं घर, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक स्थान और यहां

[श्री प्रभात झा]

तक कि अपने कार्य करने के स्थान पर भी सुरक्षित नहीं हैं। हम शहरों में क्या कर रहे हैं, शहरों के दफ्तरों में क्या हो रहा है, ऑफिसेज़ में क्या हो रहा है? वहां कितनी महिलाएं शिकायत करती हैं, क्या हम इससे वाक़िफ नहीं हैं? लेकिन यह कानून से ठीक होने वाला नहीं है। यह हम सबकी जिम्मेदारी से ठीक होगा। इसके लिए जनजागरण अभियान चलाना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार के तहत महिलाओं को अपनी वृत्ति और आजीविका की गरिमामय प्राप्ति का अधिकार प्राप्त है, लेकिन क्या इस अधिकार के लिए कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। यह तो मैंने आपको माताओं और बहनों की कहानी सुनाई। ये वे आंकड़े हैं, जो पुलिस में दर्ज होते हैं। वे अनकही कहानियां, वे छिपी कहानियां, जिनकी सिसकियां थानों तक नहीं पहुंच पाती हैं, अगर वे आंकड़े आ जाएं, तो हमें शर्म से डूब मरना पड़ेगा। हम उन आंकड़ों को बयान नहीं कर सकते। आज बाल अधिकारों की रक्षा के लिए देश में क्या हो रहा है? बाल अधिकार एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। आप स्टेशनों पर जाइए, आपको स्मैक पीते हुए, चिलम पीते हुए, भांग पीते हुए, नशे में धुत्त 10-10 साल के, 14-14 साल के बच्चे दिखाई देंगे। रेल की पटरियों के बीच में, अपनी जिन्दगी को दांव पर लगाकर इस भूखे पेट के लिए वे क्या बीनते हैं? वे प्लास्टिक, कागज़ के टुकड़े, माचिस के डिब्बे, आपके फेंके हुए भोजन को ढूंढते हैं और उसको खाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या लगता है, हम किस भारत में जी रहे हैं? उन्हें देखकर हम उह कर देते हैं, उस समय हमें सिसकियां आती हैं कि क्या मैं इस भारत का नागरिक हूं, लेकिन इसके लिए कोई कारगर उपाय हम आज 67 साल बाद भी नहीं ढूंढ़ पाए हैं। आज महिता एवं बाल विकास मंत्रालय को ही नहीं, इस देश की संसद को, इस देश के एक-एक जिम्मेदार आदमी को, जो भारतीय संविधान में अपनी आस्था रखता है और जो यह कहता है कि मुझे भारत का नागरिक होने पर गर्व है, उस एक-एक व्यक्ति को इनकी चिन्ता करनी पड़ेगी।

1990 में भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार संधि को अनुमोदित किया गया। इस संधि में बाल अधिकारों से संबंधित मुख्यतः चार श्रेणियों का प्रावधान किया गया है। वे क्या हैं? पहला हैं, 'जीवन जीने का अधिकार'। क्या उन्हें जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है? मैं नहीं समझता कि कहीं उन्हें जीवन जीने का अधिकार मिल रहा है। दूसरा है, 'संरक्षण का अधिकार', लेकिन उन्हें मिल क्या रहा है, शोषण और जुल्म मिल रहा है। आप देखिए, स्कूल के आवास में किस तरह से बच्चों की पिटाई होती है और एक अंधा मास्टर किस तरह से अंधे बच्चों को मारता है? उन्हें शोषण और यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। आप गांव में जाइए, वहां आपको बंधुआ मज़दूर मिलेंगे। पांच किलो अनाज पर 18-18 घंटों काम करने वाले लोग आज भी गांवों में हैं, उन्हें गांव से बाहर जाने नहीं दिया जाता है। हम किस युग की बात करते हैं?

कुछ ही वर्ष पहले की बात है, राजा-महाराजाओं के इलाके से निकलते समय आप थूक नहीं सकते थे, इसलिए लोग हंडिया लगाकर वहां से निकलते थे, क्योंकि अगर आपने महाराजा की सड़क पर थूक दिया, तो आपकी ऐसी-तैसी कर दी जाएगी। यह आखिर क्या है? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थीं।

इसके बाद 'सहभागिता का अधिकार' है, 'विकास का अधिकार' है, लेकिन ये अधिकार कहां हैं? मैं उन्हें संविधान में ढूंढ़ रहा हूं, मैं उन्हें कागज़ों में ढूंढ़ रहा हूं, मैं उन्हें मंत्रालयों के पन्नों में ढूंढ़ रहा हूं, मैं उन्हें संसद की एक-एक दीवार में ढूंढ़ रहा हूं, लेकिन कहीं पर भी मुझे

इनमें से कोई अधिकार दिखाई नहीं देता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश के बड़े शहरों में ...(**समय की घंटी**)... सर, मुझे पांच मिनट और दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Take two more minutes. *...(Interruptions)...*

श्री प्रभात झा : सर, प्लीज़ मुझे आप पांच मिनट और दीजिए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Your party has two more speakers.

श्री प्रभात झा : सर, उनसे हम बात कर लेंगे।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश के बड़े नगरों में, राज्यों की राजधानियों में, सड़कों पर इधर-उधर भटक रहे बच्चों की कितनी बड़ी तादाद है, इन आंकड़ों को देखकर हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। 55,00,000 बच्चे सड़कों पर कीड़े-मकोड़ो की तरह जिन्दगी जीते हैं। दिल्ली में 3,00,000 बच्चे, मुम्बई में 1,25,000 से भी अधिक बच्चे और बंगलुरू में 1,10,000 बच्चे आपको सड़कों पर सोते हुए मिल जाएंगे। इनके भी कोई मां-बाप हैं, इनको भी किसी ने जन्म दिया होगा, लेकिन इस बात को कौन पूछ रहा है? पिक्चर की कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं, जिनको देखकर हम तालियां बजा देते हैं, लेकिन टीस किसके हृदय में है? आज हम सभी लोगों में हृदय की टीस चाहिए, दर्द चाहिए, दलगत राजनीति की घिनौनी प्रक्रियाएं नहीं चाहिए। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आप देखिए कि ये बालक और इस देश की महिलाएं आपको याद कर रही हैं।

हमारे देश में भीख मंगवाने के लिए आंख फोड़ दी जाती है, हाथ काट दिए जाते हैं, पैरों की उंगलियां काट दी जाती हैं। स्टेशन के आसपास एक बॉस होता है, बस-अड्डे के आसपास एक बॉस होता है, जो उनको कहता है, जा, दिनभर भीख मांग। यदि वह भीख में 100 रुपये कमा कर लाता है, तो 10 रुपये उसे देता है और 90 रुपये वह आंख वाला खाता है, जिसने उस बच्चे की आंख फोड़ी थी, लेकिन वह बच्चा उस आँख वाले के पेट का पालन करता है। यह कितनी बड़ी विडम्बना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कौन-सी प्रगति कहेंगे? बातें बहुत लम्बी कही जा सकती हैं।

यह सब कहने के बाद मैं अपनी सरकार पर आऊंगा। हमारी सरकार ने इसके लिए बजट में कुछ प्रावधान किए हैं, कुछ कोशिशें की हैं, जिनके लिए बजट में पैसे बढ़ाए गए हैं। इसके लिए हमारी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। आप चलिए, मैं आप सभी को निमन्त्रण देता हूं, आप लोग मध्य प्रदेश आइए। शिवराज सिंह चौहान वहां के मुख्यमंत्री हैं। आप वहां आइए और देखिए कि जब बेटी जन्म लेती है और 80 साल में जब वह अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच कर मरती है, उसके जन्म लेने से लेकर मरने तक की सारी जिम्मेदारी का पालन वहां की सरकार करती है। उस सरकार का नाम है, मध्य प्रदेश की 'भाजपा शासित' सरकार। आप वहां आइए और अपनी आँखों से देखिए, मैं आपको निमन्त्रण देता हूं। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि वह सरकार समाज के सरोकार से चल रही है। उसने कोशिश की है कि वह एक-एक आदमी को खड़ा करे, जन-जीवन में जागरण पैदा करे और सभी लोगों को इसके लिए तैयार करे। हमारी सरकार ने उद्योगपतियों से कहा कि तुम इस गांव को गोद लो, मिलकर हम इस गांव में परिवर्तन करेंगे। जब उन्होंने कहा-नहीं तो हमने कहा - अंत्योदय का बीड़ा तुम उठाओगे, तो हम तुम्हें काम देंगे।

[श्री प्रभात झा]

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी की महिलाएं अगर पांच लाख हैं, तो उनकी तकदीर को बदलने का फैसला सरकार नहीं, समाज के सरोकार से किया जा सकता है। अभी हमारी सरकार ने भी किया है - 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना लाकर। महिला सुरक्षा के लिए एक नहीं, अनेक पैसे खर्च किए हैं। बहुत बातें कही जा सकती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का 2012-13 में वास्तविक व्यय 17033.72 करोड़ रुपये का था। अब हमारी सरकार ने इसे 21 हजार करोड़ रुपये किया है। मैं इसको उचित नहीं मानता और न मैं इन आंकड़ों में जाना चाहता हूं, बल्कि मैं वस्तुस्थिति रखना चाहता हूं। इस देश के सामने, मंत्रालय के लिए एक सवाल है। इतने बड़े भारत की आबादी में फुटपाथ पर पलने वाले, स्टेशनों पर चलने वाले बस अड्डों के इर्द-गिर्द घूमने वाले या अपने-अपने घरों में झांक कर देखें, हम नागरिक हैं, हमारा भरा-पूरा परिवार है, लेकिन हमारे घर का नौकर जाड़े में छत पर सोता है। चौदह-पद्रंह साल का लड़का गांव से बुला लिया। हम शहरी कहलाने वाले लोग गांव के उन बच्चों पर इतना अन्याय करते हैं। जब पुलिस पकड़ती है, तो वह पुलिस भी आपका ही साथ देती है और उस बच्चे को लावारिस घोषित करती है। यह कितना बड़ा अन्याय है? इसलिए मुझे लगता है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कार्यकरण पर जो चर्चा हम कर रहे हैं, यह चर्चा तब सार्थक होगी, मैं भी 20-25 मिनट बोल लूंगा, आधा घंटा बोल लूंगा, ...(**समय की घंटी**)... लेकिन इन चर्चाओं से देश की महिला एवं बाल का कोई विकास नहीं होना है, ...(**समय की घंटी**)... यह तब होना है, जब आपके मन में सच में अगर एक टीस पैदा हो गई कि नहीं, मैं अपने इर्द-गिर्द रहने वाले इन बच्चों को, इन महिलाओं को ठीक करुंगा, उनको मैं ठीक करने की कोशिश करुंगा। ...(**समय की घंटी**)... तब आपके सार्वजनिक जीवन की सफलता होगी। जय हिन्द, जय भारत।

SHRI DEREK O' BRIEN: "Sir, I am a student of class XI at Garden Reach N. Das Girls' High School. My father is a tailor. For the last few years, I have been receiving ₹ 500 every year and when I turn 18, two years from now, I will receive ₹ 25,000/-." Sir, this is the story of one of the 12 lakh girls who between the age of 13 and 18 have registered themselves in Bengal for a scheme called Kanyashree. Kanyashree has been so successful a scheme because (a) it stops girls from dropping out of school (b) it delays marriage, and (c) it puts the money into the bank account, ₹ 500/- and then ₹ 25,000/-. It has been so impressive -- after a pilot project now with 12 lakh girls -- that the United Nations, I am proud to say, is now partnering in the Kanyashree Scehme. Tomorrow, significantly, August 14, is the first Kanyashree Divas which we are celebrating in Bengal. The reason for which I shared this story is that because we heard about Beti Bachao, Beti Padhao Scheme, it is a similar sounding scheme. There are no issues with that. But my humble request to the Ministry of Women and Child Development is that this is one example I have given you from Bengal. There are others, for example, the Swavalamban, where the residents of Government and NGO homes are being recruited into the ICDS's projects or another scheme called Sukanya, where trafficking welfare homes or victims of torture

go to the State Resource Centres. So, these are some examples. I believe that there are examples not only in Bengal but in Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu and every where. So, the first focus of the Ministry should be to examine those schemes which have been piloted, which have been rolled out, which have been successful on the ground. It does not matter if you change the name but use those schemes which the States have used. You spoke a lot about federalism. This is one very good example of readymade cooperative federalism at work. Sir, the second point I wish to make today is about implementation of existing laws. I only want to bring in two examples because I think we have enough laws, but the two specific examples of implementation, the first is the law, the Protection of Women from Domestic Violence Act. Now, there are Protection Officers who are needed to be placed under this Act. Under this Act, you have to have Protection Officers. Six States have already got Protection Officers. Twenty-odd States do not have Protection Officers. Obviously, I am very proud to say that Bengal is one of the six. But the broader picture here is that the District Magistrates are doing other roles; please don't put them up as Protection Officers. Use those Protection Officers who are full time Protection Officers to implement this very good law.

Sir, again, it is a problem of implementation. What the Minister needs to look into seriously is protection of children from sexual offences and also the sexual harassment at the work place. Here, there are good laws but the message to the Minister and the Ministry is, 'look into the implementation'.

My third point which, in fact, the speaker from the BJP also touched on is about the Budgetary allocations. In 2013-14, the Budgetary allocation, originally, was ₹ 915 crores. In the Revised Estimates, it came down to ₹ 480 crores. The point I am trying to make is that because of the delayed release of funds, -- and all this expenditure goes and gets stuck in the third quarter -- by the time you come into the last quarter, the action does not really happen with the Annual Action Plan. So, the money is there, revised Budget Estimates come, but eventually that figure is, sometimes, one-third of what was the original.

Sir, the fourth point is somehow linked to the third point. I want to talk a little about the convergence of schemes. Sir, the National Mission for Empowerment of Women was set up in 2010. Here, the basic concept was that you converge a lot of woman-centric schemes so that they become like a whole; so, you don't have to go piecemeal. Fund utilization in the year 2010-11 was zero. Now, let me give you just one year's figure. In 2012-13, B.E. was ₹ 22 crores. At the R.E. stage, it came down to ₹ 10 crores and finally the amount utilized was ₹ 8 crores. Sir, here, I would request the Minister, through you, to look into the recommendations of the Standing Committee on Women Empowerment so that synergy can happen in a good way. One simple way to make this synergy happen is to initiate -- we, the Trinamool Congress, suggest -- a pilot convergence scheme. Choose

[Shri Derek O' Brien]
one or two schemes. You initiate a pilot convergence scheme, see how this works, so that you can have proper schemes rolled out in the future.

Sir, my fifth point is this. The biggest crime in the world is not bloodshed, it is not bigotry, but the most disgraceful, unforgiving, shameful and tragic crime is the crime of silence. We don't believe that rapes happen overnight. The crime of silence which I am referring to may happen in an urban situation or in a rural situation. Let me give you an example of the urban situation. That is where the first, if I may use the term, 'mini rape' takes place -- in a bus, in a train where a man tries to touch a woman badly in the morning. He does it five days in a row on the bus going to office. Nobody objects. The lady is very scared. If she thinks to bring this up in the bus, no one will support her. So, what does this man do? Next week, he moves on the stage II. He tries something on the way to work. Now he tries it on the way to work and on the way back to work. So, that is stage-II. Like this, it carries on, carries on, carries on. It can happen to a woman or it can happen to a child. I was molested in the bus when I was 11 years old. I have spoken about this on national television and I want to talk about it today. When I was travelling back in short pants, somebody at the back did something to me and I had sperm on my shirts! I was too scared, coming from a progressive family, to go and tell my parents that. This is the tragic crime of silence! How many of us who are sitting have not been pawed in a bus. So, if we really want to make a change, we need to look at this, right at the bottom of the pyramid. We need to get the message out that if someone is in an urban situation and if a lady is in a bus and she screams, everyone needs to feel strong enough to come and support her. In a rural situation, it is very different when a woman goes to the field to relieve herself. A lot has been spoken about this. I have seen this happening in front of my eyes in 2008 in the great Singur agitation. Taposhi Malik, who is today considered a martyr in Bengal for the cause she stood up for, lost her life. Why? Because, she went at 4.30 in the morning, before dawn, to an open toilet. But even if we have all the toilets closed, we are not going to solve this problem, which is a much bigger problem because this impunity of behaviour gives us, as males, more power to continue with this impunity of behaviour.

And, I must make a slight deviation here, with your permission, Sir. I notice that in the Rajya Sabha, there are 29 people speaking on this subject. Out of these 13 are ladies and 16 are men. I think, this is good because men need to speak more on this subject because they are the cause of all the problems. In the Lok Sabha, I am told, eighty per cent of the people who spoke there, with all due respect to them, were ladies and twenty per cent were men.

Now, I want to come back to the other big point. Where do we address this? We have to address this at four places, otherwise these arguments become too complicated and we

don't really realize from where we start with it. And, these four places are: SHIP – school, home, institution, public place. If we look at everything and put it under these four heads, we would be going in the right direction. Not a very interesting, but a very sad statistics, we, in India, have killed more female foetuses, in the last ten years, than the population of Greece and Sweden, put together. Now, there are enough laws in place. But, in the last twenty years, only 143 people have been convicted. The law is there, but we need to get this law to work in a more useful manner. Here, I have two suggestions, both related to the Ministry of Women and Child Development, working closely in conjunction with two other Ministries. For female foeticide, it is very, very important that the Department of Women and Child Development, along with the Health Department, must make this happen together. I am told that in one or two States, not in mine, they have a software and when an ultrasonography is done, it gets registered and a doctor can not tinker around. So, one suggestion is that the Department of Women and Child Development and the Department of Health should work together. And, the second suggestion is, you work closely with the HRD Department and the Department of Women and Child Development. So, we will not have repeats of what happened in Bangalore or what is happening across the country – this is a subject close to my heart -- where children are being abused in schools. For example, if a Ministry wants to send an advisory to schools that have female security guards, who does this? Will the Department of Women and Child Development issue this advisory? Or, will the Ministry of Human Resource Development issue this? So, this is my last suggestion ...*(Time-bell rings)*... to bring it in coordination. Make the coordination better. I understand the Minister is not here, because she is in the Lok Sabha. That is fair enough. But, I am leaving behind with you five or six thoughts. One, use the ideas which have been used by the States; study those ideas; implement them at the national level. Two, ensure that laws are implemented better. Again, I will give you the example of the Protection Officer. Three, there should be a closer cooperation between the Ministry of Human Resource Development, the Ministry of Health, and the Ministry of Women and Child Development. Four is the point that I made about the budgetary convergence and budgetary allocation. Five, the tragic crime of silence.

With these words, Sir, I wish to end. So, more *Halima Khatoons* can live happier lives across our nation. Thank you very much.

SHRI MANI SHANKAR AIYAR (Nominated): Sir, it is true that the Minister is busy in the other House. But it appears to me that there is no official or officer from the Ministry of Women and Child Development sitting in the official gallery. If there is somebody, please then take the notes carefully.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Okay. Next is Shri Pavan Kumar Varma.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, at the outset, I had the option of speaking so eloquently like...

THE VICE-CHAIRMAN: One second, one second.

श्री थावर चन्द गहलोत : सर, अधिकारी दीर्घा के बारे में शायद प्रश्न नहीं उठना चाहिए, परन्तु माननीय सदस्य ने उठाया है, तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि उनके विभाग से संबंधित अधिकारी, अधिकारी दीर्घा में मौजूद हैं।

THE VICE-CHAIRMAN: Thank you. Now Shri Pavan Kumar Varma.

श्री पवन कुमार वर्मा : सर, आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरे सामने यह विकल्प था जैसे देरेक साहब ने और प्रभात जी ने बोला कि इस मुद्दे पर, इस विषय पर मैं भी एक भावुकता से बोलूं, क्योंकि यह मुद्दा है ही ऐसी, it is an emotional, it is a rhetorical, it is a political and it is a partisan subject, if we reduce it to that. But, Sir, I would like to raise this subject above that. The Minister is not present. But there are specific issues today which can concretely benefit women and child. Can we discuss those issues concretely beyond merely the emotional rhetoric? Sir, I want to tell you, there is no shortage of schemes.स्कीम बहुतेरी हैं, सर, उनको किस तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है, उन पर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, उनका क्या महत्व है, केवल भाषणों के आगे इस पर चर्चा होनी जरूरी है। स्कीमों की कमी नहीं है। ''अंधेरा लाख रोशन हो, उजाला फिर उजाला है''। We need to discuss this in the light of facts, and I am going to make seven or eight points, Sir, for the consideration of the Minister who is not here, but, nevertheless, in her absence also, I believe, these are important.

The first point relates to the ICDS. As we are aware, Sir, the ICDS restructuring constitutes 90 per cent of the Budget of the Ministry of Women and Child Development. Sir, as per the Supreme Court directives and now under the National Food Security Act, 2013, the ICDS is mandated to ensure universal access to pregnant and lactating mothers and children under six years. They are entitled under the Constitution to supplementary nutrition. This is the fact. This is the goal. लक्ष्य और वास्तविकता यह है सर, कि today there are 8.41 crore children under six years of age and 1.91 crore pregnant and lactating mothers are to be taken care through 7,066 projects and 13.40 lakh operational Anganwadi centres. This is what is the Scheme at present. There is a Scheme. What is the reality, Sir? The total number of children in the age group 0-6 is 16.45 crores as per the Census of 2011. The figure would have only risen. The ICDS, Sir, under a Scheme guaranteed by the Constitution, which is meant to be universal, is therefore reaching only half the children in this age group. Is the Scheme really universal? This, Sir, is a fact that the Ministry needs to consider. We can keep on talking rhetorically. The Scheme is there but the reality is different.

3.00 P.M.

Secondly, Sir, how has the Scheme translated into better nutrition? सर, मैं वह सवाल आपसे पूछ रहा हूं जिसका जवाब ठोस होना चाहिए, आंकड़ों में होना चाहिए, जमीन पर दिखना चाहिए। How has it converted into better nutritional outcomes for our children? Do we have reliable data? I am afraid, not. We do not have reliable data पर इस स्कीम के चलते how it has converted into actual deliverable outcomes on the field? Thirdly, Sir, I believe that the Government needs to set up a social audit of how these schemes are functioning. I would like the Ministry to take into account this point because today, in answer to every concern ...*(Time-bell rings)*... Sir, I have 13 minutes. The bell is for whom?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I am sorry; the time allotted to you was only five minutes, because there are other speakers from your Party.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: No, Sir, I was allotted 13 minutes. I am the sole speaker from my Party!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Mr. Sharad Yadav's name is also there. Eight minutes have been allotted to Shri Sharad Yadav and five minutes to you.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: But, Sir, he is not present here. I will take advantage of that. Please give me three-four minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): If you say that he will not be coming ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, if you allow him six-seven minutes, he could make his points.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I have no objection to that. If Sharad Yadav*ji* does not speak, the entire time could be allotted to you for your Party.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: But, Sir, at the moment he is not here and I would try to sum it up as early as possible. ...*(Interruptions)*...

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, it is an important discussion. Nobody discussed it before. Give us some more time.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: Sir, the Budget rightly says that a national programme in mission mode is urgently required on the issue of maternal and child under-

[Shri Pavan Kumar Varma]

nutrition, and that a comprehensive strategy, including detailed methodology, costing time-lines and monitorable targets will be put in place within six months. I would like to see how this Government responds to that goal.

Sir, this is a multi-sectoral problem. The Women and Child Development Ministry may be a nodal office, but this is a matter which covers sanitation, hygiene, health and childcare services, food security, education, skills and livelihoods and poverty issues. My point, Sir, is this. Do we have a plan to take stock where we are presently on this very vital subject on which the Government is committed? *...(Interruptions)...* Sir, right now, under the last National Family Health Survey, nearly every second young child in India is under-nourished. Sir, 42.4 per cent of children under five years of age were underweight, 48 per cent stunted, and 19.8 per cent wasted. Sir, we need to expedite a district-level household survey to see what the position actually is. We also need a National Action Plan for Children. It is not enough to constitute a scheme. My last two points, for which I would take two minutes, since my time has been reduced, with the permission of my leader. Two more minutes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I am sorry, Mr. Varma. Please conclude.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, Mr. Sharad Yadav is there. He has already won the Best Parliamentarian Award. The Member is speaking so well. He should be allowed to speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): There is no doubt that Mr. Varma is speaking very well, but I have my time constraint.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: Sir, I would take another two-three minutes.

Sir, the Budget has surprised us. प्रभात झा जी ने कहा कि यह स्कीम इस वक्त एक आंदोलन का शेप ले रही है, सर, यह आंदोलन का प्रतीक नहीं है। आपने 50 करोड़ Ministry of Road, Transport and Highways को on pilot testing, a scheme on Safety for Women on Public Road Transport, *diya.* And, there are ₹ 150 crores for the Ministry of Home Affairs on a scheme to increase the safety of women. Sir, do you know that according to the National Crime Records Bureau data, during the year 2013, 3,09,546 incidents of crime against women were reported – not that they did not occur, but just reported – as against 2,44,270 cases in the year before? This is an increase of 26.7 per cent. Sir, how is this allocation in the Budget with this kind of increase going to provide the kind of safety that women need in this country?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude.

SHRI PAVAN KUMAR VARMA: Sir, my last point is this. I am rather sorry about one thing. The slogan is so good – "बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ।" ₹ 100 crores have been allocated on it. This is an emotional issue. We are all, across party lines, united on this. But, Sir, it has been raised before. The child sex ratio in our country has been steadily declining since 1961 and today, it has gone down further. It is almost touching 914 as against 1000. How are we going to deal with this subject? There are some districts in this country where the women to men ratio is 775:1000. I would ask, therefore, Sir, that a concrete programme should be brought before this House on how you will implement Beti Bachao Beti Padhao. I want to end, Sir, only by a couplet of Majaaz because Javed saab and I were discussing it:

'तेरे माथे पे यह आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस
आंचल से इक परचम बना लेती तो अच्छा था।'
धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : श्रीमती शशिकला पुष्पा।

श्री शरद यादव : सर, मेरा नाम है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : जी, आपका नाम है।

श्री शरद यादव : सर, तो पहले हमें मौका दे देते।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : नेक्स्ट आपको बुलाएंगे। अभी बुलाएंगे, थोड़ा रुको। मैडम, आप बोलिए।

SHRIMATI SASIKALA PUSHPA (Tamil Nadu): Respected Vice-Chairman, Sir, hon. Members of this august House, in this highest forum of democracy it is indeed a privilege and honour for me to get this opportunity for which I am deeply indebted to my leader, Dr. Puratchi Thalaivi Amma, who is a real role model of women and child care efforts. Her innovative leadership and untiring efforts, right from 1991, brought her appreciation from world leaders like Mother Teresa, especially for the social welfare measures and for her spirit of upliftment of women and their rights. Sir, first, I would like to convey my highest regards to the NDA Government on behalf of the women fraternity for the upgradation of Women and Child Development Department to the Cabinet rank. And also, it is heartening to note that the Ministry introduced 'Safety for Women on Public Road Transport', 'Crisis Management Centres', *'Beti Bachao, Beti Padhao Yojana* in this Budget. We hope that this will bring light to the lives of women and children. For the holistic development of women and children, the Ministry formulates plans, policies, programmes like ICDS, ICPS, etc. Out of 1.2 billion population, women and children contributes nearly 70 to 75 per cent. Are we budgeting for that percentage? As far as women policies are concerned, a national policy has been formulated in the year 2001 by

[Shrimati Sasikala Pushpa]

the Government of India. The circumstances which existed in 2001 are not exactly the same in 2014. And also, the age group of women differs from 25 to 80 plus. The problems of women of 25 years of age may not be the problems of women of 80 plus. Therefore, the overall objective enumerated in the policy needs to be reoriented as generation specific. Furthermore, our Government provides many skill development programmes like step-up training and all. These are all individual skill-based training programmes. But the need of the hour is the development of managerial skills for our women to compete with global standards. Sir, His Excellency, the hon. President of India, in his Presidential Address mentioned about the policy of zero tolerance of violence against women. In the recent past, our country has witnessed some gruesome incidents of violence against women. The legislations which we made such as Dowry Harassment Act, Sexual Offences against Working Women Act, etc., are, no doubt, essential to punish the criminals. But also, we should keep it in mind that the root cause of all these problems lies in our social and economic structures. So, the need of the hour is social education. The school curriculum must have special emphasis on gender sensitization. So, the watch word of governance may be 'social education' for women empowerment. Sir, a famous Tamil poet celebrated womanhood by saying, *"mangaiyaraga pirappadarkku nalla mathavam seydida vendum amma",* which means it is the greatest divine bliss and blessing to be born as a woman. At this juncture, I would like to share some of the innovative schemes successfully implemented in Tamil Nadu under the able guidance of our most respected leader, Puratchi Thalaivi Amma, who has made Tamil Nadu one of the frontline States in the matter of overall development of women and children. For instance, 'Cradle Baby Scheme', the brainchild of our revolutionary leader, Puratchi Thalaivi Amma, was launched in 1992 with a view to eradicating female infanticide. It saved many infants and created a positive impact on the child sex ratio. Another innovative scheme by our visionary leader is *Thalikku Thangam* Scheme, which means it is the financial assistance for the marriage of poor girls and it also provides four grams of gold for their *mangala sutra*. Sir, even though our country has rich resources of gold, we do not provide gold to our citizens. The one and only Chief Minister, who is providing gold to the citizens, is our Puratchi Thalaivi Amma.

We all know about Green Revolution, Blue Revolution, White Revolution and also Yellow Revolution. Our hon. Amma started Woman Empowerment Revolution two decades back. It is pertinent to mention here that out of 12 Municipal Corporations in Tamil Nadu, in six of them, woman Mayors are there. By the grace of my leader, hon. Amma, I had the opportunity to serve as the first elected woman Mayor of Thoothukudi Corporation. I am telling this because my leader has increased the participation of women, in true spirit, in local bodies manifold. This seed of thought from our empowered leader

can be adopted in the national politics also. Hence, women should be empowered in politics.

Sir, establishment of All-Women Police Station in Tamil Nadu by our benevolent leader, Puratchi Thalaivi Amma, is the first of its kind initiative in India. Also *Avvaiyar Award,* in the name of great Tamil poetess for the best performing woman, is another gesture by our progressive leader, hon. Amma, to motivate talented women.

A 13-Point Action Plan to bring down crimes against women, implemented in Tamil Nadu by our challenging leader, is the first of its kind in the nation.

Then, there is *Kalpana Chawla Award* for those women who have performed brave deeds. It encourages those women who have performed brave deeds. It aims at encouraging adventurous spirit among women by our courageous leader Puratchi Thalaivi Amma.

Under the able guidance of our hon. Chief Minister, and with the successive implementation of various schemes mentioned above, Tamil Nadu has achieved higher economic and social indicators. When we compare the social indicators of Tamil Nadu with all - India figures, we find that infant mortality rate in Tamil Nadu is 22, while that of India is 44. Maternal mortality rate in Tamil Nadu is 97, while that of India is 212. In child sex ratio, Tamil Nadu has achieved the ratio of 946, whereas the figure for entire India is 914. Female literacy rate in India is 65.46 per cent, whereas Tamil Nadu has achieved 73. 86 per cent. Therefore, Sir, I humbly suggest that the whole country can take some positive lessons from the State of Tamil Nadu which aims at promoting socio-economic empowerment of women through innovative schemes.

Sir, our Indian Constitution insists on the principle of gender equality through its Preamble, Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy. Even then, there is a wide gap between the goals, legislations, policies, programmes and the situational reality. Sir, information technology can break the knowledge barrier. So, the policies must be drafted to incorporate e-literacy among women and children. Moreover, I have a dream, Sir. As we have Lok Sabha and Rajya Sabha, this temple of democracy should have *'Women Sabha'* also to make exclusive legislations for women and children. Once again, I wish to convey and record my gratitude to our most respected leader, *Puratchi Thalaivi Amma,* who is a real role-model for undertaking women and child care efforts. Let us all work together to make our country blossom with all democratic values like liberty, fraternity and gender equality. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Thank you so much. Now, Shrimati Jaya Bachchan. Madam, there are two speakers from your party and your allotted time is only seven minutes.

श्रीमती जया बच्चन : जी, सर। मैं कोशिश करूंगी। Sir, firstly, I would like to congratulate Shri Arun Jaitley ji, Dr. Karan Singh ji and Shri Sharad Yadav ji for the awards given to them. It's wonderful. Sir, out of the Outstanding Parliamentarian Awards given over the years, there have been 20, इसमें सिर्फ एक महिला हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज जी। क्या इस पार्लियामेंट में इतने सालों में कोई और डिज़र्विंग महिला पार्लियामेंटेरियन नहीं रहीं? ...(**व्यवधान**)... सर, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहती, मैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगी। मुझे इस हाउस में काफी दिन हो गए हैं, मैंने यहां के लोग वहां और वहां के लोग यहां आते हुए देखे हैं, साथ-साथ इनके विचार भी बदल गए। इसको कहते हैं, 'किस्सा कुर्सी का', लेकिन बीच में जो हम लोग बैठे हैं, हम वैसे नहीं हैं, हम समय आने पर शीशा दिखाते हैं, चाहे वह कोई भी सरकार हो या अपोजिशन हो।

I have a few observations and these are the root causes of many of the ills in our society. मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है, and, whatever I am going to say is no reflection on the capabilities, capacity and competence of the lady Minister or her predecessors, लेकिन ऐसा क्यों होता कि जब भी वूमेन और चाइल्ड के बारे में मिनिस्ट्री की बातें होती हैं, it is always a women heading the Ministry. I think, it is very important for a man to head this department, I say this with due respect to the Minister, because if they are at the helm of affairs, they will realize what the women and children feel or go through. Just because a woman is a mother, she has to feel for children, and, because she is a woman, she is the right representative, and, she is; but it is not important. We are conveying to the nation that only women are capable of such jobs, and, not men. We need to correct it, and, since we are, supposedly, the House of Elders, House of sensible people, that sense should start from here.

Sir, my second observation in this House is that there is a very popular democratically-elected Chief Minister of a very large State, who is an ally of yours. Some very derogatory remarks were made about her from a foreign country, and, what did we do? We just said, "we condemn"; we showed our displeasure by saying, we condemn, and we do not welcome such rhetoric, and, that was it. बस। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया। उस कंट्री ने बहुत ही मामूली तरीके से माफी मांगी, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया और हम बैठ गए। Wrong message, Sir! It is a very wrong message which you are sending to the rest of the country.

Sir, I had given a question on the 30th of July about women personnel in para-military police forces. The Government's response was, and, I quote, "Traditionally, women had not been inducted into the police force as it was thought that to maintain law and order, men were preferable." What kind of an answer is this? मैं जानना चाहती हूं कि यह जवाब किसने दिया? मंत्री कितने जवाब देते हैं, यह मुझे पता नहीं, मगर जिस अफसर ने भी लिखा है, उसे बुलाना चाहिए, मैं उससे मिलना चाहूंगी।

सर, अभी हाल ही में WTO के ऊपर डिस्कशन हो रहा था और हमारी जो मंत्री जी थीं, वे जवाब दे रही थीं। उन्होंने कोई चीज़ बड़ी empthatically कही, उसके लिए इतना बड़ा बवाल हो गया, सबने कहा, you are being very aggressive. She was not being aggressive. She was being emphatic. She was trying to make a point. Can you imagine what would have happened if there was a man doing that? If he had taken aggressive position, अब तक आस्तीनें ऊपर हो जाती। I have seen such scenes in this House. Men don't have the competence to handle criticism. But the same subject came up another day and the ex-Minister of the same Department was so aggressive and the House was mum. Nobody said a word. Sir, this is supposed to be the House of Elders, sensible people. Where is the sense? Where is the protection? Protection does not have to be physical. It has to be mental; it has to be also suggestive. It does not exist here. I want to bring this to your notice. Why are these double standards? I don't understand this. Sir, last week, in the other House, a very senior Member of a very important party...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Jaya*ji*, sorry, do not discuss about the other House.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am not discussing, Sir. A statement was publicly made. I am just ...*(Interruptions)*... Yes. A reference was made that daughters, sisters and girls of the country to dress in a dignified way and uphold the tradition of Indian culture. I would like to ask this gentleman what is the definition of 'dignified and traditional culture'. Is the fixing of the veshti in the Central Hall traditional, dignified, when there are so many women sitting in that room? It is very sad, Sir. This moral policing must stop. आप इस डपिार्टमेंट को चाहे जतिना पैसा दे दीजएि, जब तक इस देश के पुरुष और उनकी thinking नहीं बदलेगी तब तक यह नहीं बदल सकता।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Jaya*ji*, one minute left.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I will try, Sir.

सर, मुझे याद है कि बदायूं के बारे में बड़ा rumor फैलाया गया। आज सी.बी.आई. की रिपोर्ट आई है, it was honour killing. This is wrong, Sir. Somewhere you have to control media जिसकी वजह से a well-known journalist and a fiction writer has said that Jaya Bachchan should resign. It is ridiculous. You have not even waited for the report to come, और आपने अफवाह फैला दी। जो चाहे मन में आता है, बोल देता है। हमारे सदस्य उस दिन कह रहे थे कि प्रेजीडेंट रूल आना चाहिए। प्रेजीडेंट रूल तो आपके वक्त भी आना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... इससे बदतर थे ...(**व्यवधान**)... Stop it now. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुखेन्दु शेखर राय**) : जया जी, छोड़िए। Please address the Chair.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: This is the mentality, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please address the Chair.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Yes, exactly. सर, हमारी पार्टी ने वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर स्टैंड लिया। हमारी पार्टी ने कहा कि जो आप 30 परसेंट blanketly कर रहे हैं, इसको मत करिए। आप यह जिम्मेदारी पार्टी की लगाइए कि 30 परसेंट रिजर्वेशन पार्टी के लोग वुमेन के लिए रखें जो पार्टी इसको फॉलो नहीं करती, उसको आप डिसक्वालिफाई, करिए, मगर अफवाह यह फैलाई गई कि समाजवादी पार्टी is against the Women's Reservation Bill. It is *and it is you people who did it.

SHRIMATI RAJANI PATIL (Maharashtra): Sir, * is unparliamentary. ...*(Interruptions)*...

श्रीमती जया बच्चन : मैं आपको कैमरे की फुटेज दिखा दूंगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Jaya*ji*, your time is over. ...*(Interruptions)*... Your time is over.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Sir, I wanted to speak about children. I am a mother.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am a grandmother.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I am helpless.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am so sorry. I have not been able to say anything about the children.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I have already given you one minute more than the allotted time.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: I am obliged to you. I am really ashamed that we have had discussions जिसमें बजट के उपर चार दिन, पांच दिन और WTO के ऊपर ...(**व्यवधान**)... विमेन की बात हुई तो ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): The word * shall be expunged.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: That is fine. I am sorry. I got emotionally carried away. I am an emotional person.सर, मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं, हृदयजीवी हूं। सर, एक दिन टी.वी. पर यह दिखाया गया कि बिहार में मिड डे मील में बहुत कीड़े-मकौड़े थे। टी.वी.

* Expuged as ordered by the Chair.

चैनल ने तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद सरकार ने उसके ऊपर जो काम किया उसको नहीं बताया। I think the Government should take note of it. The channel has the liberty to show what wrong has happened. But when the corrective action has been taken, that must also be reported by the same channel. I think the Government must insist on this.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Please conclude.

श्रीमती जया बच्चन : सर, अंत में ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): I am sorry. Please conclude.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN: Okay, Sir. I obey your command.

Sir, they were talking about the Bharat Ratna. मैं इस सदन को यह याद दिलाना चाहती हूं कि हमारे यहां सरोजिनी नायडु, महादेवी वर्मा और महाश्वेता देवी भी इस अवार्ड के लायक हैं।Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY): Next speaker is Dr. T.N. Seema. But Sharad Yadav*ji* has requested the Chair to allow him to speak now. I want the sense of the House. If the House agrees, I would allow him.

PROF. RAM GOPAL YADAV: Sir, he has to go somewhere. You can allow him.

SOME HON. MEMBERS: Sir, you can allow him.

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुकम्पा से इस विषय पर बोल रहा हूं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और जो सदस्य मेरे बाद बोलने वाले थे, मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। अभी जया बच्चन जी बोल रही थीं, तो मेरा मन भी उनको ज्यादा देर तक सुनने का था। मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। सदन में इस पर बहस चल रही है। मिश्रा जी, शायद चले गए हैं, उन्होंने बहस में भाग लिया है। प्रभात झा जी और देरेक ओब्राईन जी ने भी बसह में भाग लिया है। मैंने यहां कई लोगों के भाषण सुने हैं और जया बच्चन जी का भाषण भी सुना है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज कानून और भाषणों से नहीं बदलेगा। हमारे देश में यह गहरी बीमारी है और पिछले 68 बरसों से हम इस पर बहस करते आ रहे हैं। आज मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती जया बच्चन : यह मत बोलिए, मैंने आपको यह कहने के लिए कहा है।

श्री शरद यादव : मेरा मन नहीं माना। आपने तो कहा ही था, लेकिन मेरा मन नहीं माना, इसलिए मैं आया। मैं दो-चार मिनट में अपनी बात कह कर जाऊंगा। अच्छा होता, यदि वक्त होता तो मैं बताता। प्रभात झा जी, भारतीय समाज खंड-खंड है। दुनिया में ऐसा कोई समाज ही नहीं हैं, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो और चाहे सिख हो। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा : समाज खंड-खंड है, लेकिन भारत अखंड है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुखेन्दु शेखर राय**) : बैठ जाइए, बैठ जाइए। ...(**व्यवधान**)... शरद जी बोलिए।

श्री शरद यादव : प्रभात जी, मैं आपकी बात को ही एड कर रहा हूं। मैं आपकी बात का खंडन नहीं कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा : मैंने भी कहा है कि अखंड है।

श्री शरद यादव : अखंड नहीं है, हम कभी इस पर बाद में बात करेंगे। यह है कि भारत अखंड है, मैं प्रभात जी की बात से सहमत हूं। वह अखंड है, लेकिन 80 फीसदी आदमी हजारों साल से हर तरह से जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं बता रहा हूं। यानी हिन्दू, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख, तमिल, बंगाली सभी धर्मों में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मुम्बई या कोई और जगह हो, लगभग 1 लाख जात हैं। ये जात मां की गुलामी से बनी हैं। जब भी ये जात बनी हैं और जिस देश की मां गुलाम हो जाती है, उस देश की हालत खराब हो जाती है, उसकी दुर्गति होती है। इतिहास में हम सात सौ सालों तक हारते रहे। हमारा पराजय का इतिहास लंबा है। यह क्यों है? जिसमें मां गुलाम की, उसने भारत की सारी स्थिति बदलकर, पलटकर ऐसा किया। क्या आप 68 बरस में कहीं सरक रहे हैं? आप सपना दिखा रहे हैं, तो याद रखना यदि आपका दिल और नीयत ठीक होगी, तो ठीक होगा, लेकिन यदि आप इस देश में घाघरा की नीयत बनाएंगे तो बरेली पहुंचेंगे। हमको यह अनुभव है। हमने तीन-तीन, चार-चार सरकारें बनाई हैं। हमको यह अनुभव है, लेकिन मैं इसको आलोचना के नाते नहीं कर रहा हूं। जिस देश की माँ गुलाम होगी, क्या उस देश में इस सारी बहस से कोई रास्ता निकल सकता है? आप जो हैसियत और समझ वाले लोग हैं, वे इस बीमारी पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। रामायण में सीता के अपमान से यह भाव आता है। रामायण में राम-रावण का युद्ध हुआ, महाभारत में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। वहां कौन-कौन लोग बैठे थे? वहां पर भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सभी लोग बैठे रहे और एक महिला गुहार लगाती रही। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, कम समय है ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुखेन्दु शेखर राय**) : आपके पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि आपके जो दूसरे वक्ता थे, उन्होंने ज्यादा समय ले लिया है।

श्री शरद यादव : उपसभाध्यक्ष जी, मैं समझ गया हूं।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष जी, हम सभी शरद जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए इनको टाइम दे दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुखेन्दु शेखर राय**) : वह बात ठीक है, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम समय के गुलाम हैं।

श्री शरद यादव : उस सदन में हमको छूट थी। चेयरमैन साहब, मैं अभी आपसे इतना ही बोलूंगा कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन मोटी बुनियाद को बताना चाहूंगा। मां गुलाम है, इसलिए इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है? लड़के आजाद हैं। हमारे देश में भ्रूण हत्या, जेंडर रेश्यो का बिगड़ना क्यों है? पढ़े-लिखे लोग हैं, लेकिन यदि किसी जात के किसी आदमी की हैसियत जरा सी बढ़ जाती है तो वह बेटी के लिए बेचैन हो जाता है, दहेज को लेकर उसकी दुर्गति हो जाती है, लेकिन जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, जिसकी संख्या ज्यादा

है, वह बेटी को नहीं मारता है, क्योंकि वह ईमान के साथ है। जो होशमंद हैं, हमारे जैसे लोग, जो हैसियत पा गए हैं, वे पेरशान हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि ये बुरे लोग हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि समाज के ऊपर से बीमारी चलती है। यह नेचर है कि गंगा ऊपर से बहती है और नीचे जाती है। जो ऊंचा समाज है, उसने जो आदर्श रखे हैं, वे सभी ऐसे हैं जो इंसान विरोधी हैं। देरेक जी ने रेश्यो की बात कही, ये सभी कह रहे थे कि हरियाणा में, पंजाब में यह हो गया, मिश्रा जी भी इसको कह रहे थे, तो मैं पूछूंगा कि यह क्यों हो गया? यह किसी गरीब के घर नहीं हुआ है, यह किसी दलित के घर नहीं हुआ है। आदिवासी अपनी बेटी को नहीं मारता, लेकिन जिनकी थोड़ी हैसियत हो गई है, वे बच्चियों को दुनिया में लाने से डरते हैं। वे हृदयहीन नहीं हैं, पर वे जानते हैं कि बेटी के चलते मेरी जमीन और घर-द्वार बिक जाएगा। प्रभात झा जी, आप तो मिथिला के रहने वाले हैं। हम कई दिनों से मिथिला में लड़ रहे हैं। हम लड़ रहे हैं ...(**व्यवधान**)... मिथिला और मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। हम मालवा से मिथिला चले गए और ये मालावा में आ गए। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां चाइल्ड लेबर है। मैं जया जी की बाजू में बैठकर इनको समझाना चाह रहा था, लेकिन वहां समझा नहीं पाया कि यह जो चाइल्ड लेबर है, वह दुखद है। हिदुस्तान में खेती के बाद यदि कोई एक चीज़ थी, तो वह दस्तकारों की हाथ की उंगलियों का कमाल था। ताज महल, खजुराहो, ढाका और चंदेरी की कला में क्या-क्या नहीं था। यानी एक हाथी के बराबर थान एक माचिस के बराबर डिब्बी में आ जाता था। यह अंगुलियों के कमाल से आता है। ये अंगुलियॉं 12-13 साल में नहीं बनेंगी, इसके लिए तो बचपन में कारीगर को सिखाना पड़ेगा। यह विद्या है, वह किसी डॉक्टरेट से कम नहीं है। आप तो उस इलाके के रहने वाले हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने किया था? ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एक ही बात की। उसने हिन्दुस्तान के किसान को तबाह किया, बरबाद किया, लेकिन हम उससे बरबाद नहीं हुए। उसने इन दस्तकारों को, जो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन थे, उनको बरबाद किया। ईस्ट इंडिया कम्पनी यहां राज नहीं करना चाह रही थी। उसने राज तब किया, जब उसने देख लिया कि इस देश में कानून नहीं है।

मैं चाइल्ड लेबर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं टेक्सटाइल मिनिस्टर था, कॉमर्स मिनिस्टर था। सर, मैं आपसे क्या निवेदन करूं कि यहां जो चाइल्ड लेबर के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, राम गोपाल जी के प्रांत, भदोही में जो गलीचा बनता है, उन्होंने पूरी दूनिया में हमारे सारे एक्सपोर्ट को बंद कर दिया। सब लोगों ने कहा कि वह समाज तो बहुत आगे चला गया। उसके आगे आने के कारणों के बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। उन्होंने पूरी दुनिया को 250 साल, 300 साल लूटा है। वह लूट की सभ्यता है। उस लूट की सभ्यता की नकल हम कैसे कर सकते हैं? यह दस्तकार का काम इस तरह का है, मान लीजिए, जैसे रविशंकर जी, जिनको आपने 'भारत रत्न' दिया है। वे बाबा अलाउद्दीन के पास कितनी उम्र में गए थे? वे सात साल की उम्र में गए थे, तब भी बाबा ने मना किया कि नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो गई, तुम नहीं सीख सकते हो। सरोद इंस्ट्रूमेंट का उससे बड़ा कलाकार देश में कोई नहीं है। क्या हुआ? यह जो तबला है, सारंगी है, सरोद है, किसी तरह की भी इंस्ट्रूमेंट है, यह बच्चे की अंगुलियों पर चल सकता है। बचपन में चल सकता है। उम्रदराज होने के बाद गला नहीं बनेगा। आजकल दुनिया में एक अलग चीज हो गई है, हुड़दंग के गाने गाना। यहां जो नृत्य होता है, उस नृत्य में एक-एक स्वर के ऊपर घुंघरू और एक-एक स्वर के ऊपर शरीर हिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि

[श्री शरद यादव]

यदि भारत के समाज को नहीं बनाओगे, तो कुछ नहीं होगा। यह टूटा हुआ है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि लोकशाही के अन्तर्गत जो बच्चे अंतर्जातीय शादी कर रहे हैं, उनको तत्काल सुरक्षा दो। जो बेटी इतना साहस करती है, यह बेटे का नहीं, बल्कि बेटी का साहस है, मां का साहस है, जो घर-द्वार और जाति, सबको छोड़ कर जाती है। आप उसकी त्रासदी नहीं समझते हैं। उसका घर-द्वार, उसकी जाति उसे लांछित करती है, उसे बाहर निकालती है। उसके माँ-बाप को जाति से बाहर किया जाता है। जब तक अंतर्जातीय शादी को हम सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, जिसकी बात आप कर रहे थे, क्योंकि यह समाज खंड-खंड है। अगर पोखर में पानी बंद रहेगा, तो यह सड़ेगा कि नहीं? जब पानी नदी बनेगा, तो पानी शुद्ध बनेगा और पीने लायक बनेगा। हमने भारत को सड़ा कर रखा है और हम यहां सतही बहस कर रहे हैं। सारे लोगों की बहस सुन कर मैं हैरान हूं। आपके इन भाषणों से हिन्दुस्तान के भीतर कोई असर नहीं हो सकता। जस राजा तस प्रजा। महात्मा गांधी जी ने सन् 1932 में लिखा था कि 'जस प्रजा तस लोक सभा होगी, तस विधान सभा होगी, तस अफसर होंगे, तस वकील होंगे।' हम सभी के सभी इसी तरह के लोग हैं। हम समाज को पूरी तरह से बदलना नहीं चाहते। Eradicate the caste system. दुनिया में कोई भी इस मुल्क से हाथ नहीं मिला सकता है। लेकिन जब तक ये चीजें रहेंगी, तब तक यह देश कभी नहीं बन सकता है, कभी नहीं उठ सकता है। इन सब बातों के कारण यह देश इतना टूटा, इतना बिखरा, इतना विखंडित हुआ कि इसके खंड-खंड हो गए, क्योंकि हर कदम पर इस देश में पाखंड ही पाखंड हैं। इन पाखंड के कारण इस सतही बहस से, जो आपने और हमने बोला है, कुछ होने वाला नहीं है। बहस चाहे कितनी ही कर लो, बातें चाहे कितनी ही कर लो। यह आज की बात नहीं है, हजारों सालों से मां और बेटी को इस देश में वस्तु माना जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे धर्म ग्रन्थ से लेकर हर जगह एक ही चीज़ कही गई है, एक ही सबक दिया गया है कि द्रौपदी को नंगा करोगे तो जीतोगे, सीता को हरोगे, तो बड़ा काम होगा। क्या इन बातों के ऊपर कभी बहस नहीं हो सकती है? जो किताबें हजारों साल पहले लिखी गई हैं, वे हजारों साल पहले ठीक हो सकती थीं, लेकिन आज तो ठीक नहीं हैं।

साहब, मैं आपकी निगाह से डर गया हूं, इसलिए यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल है, मैं यह कहना चाहता हूं कि माँ गुलाम है। आज यदि आजाद हैं तो नीची जाति की औरतें आजाद हैं, लेकिन जैसे-जैसे जाति ऊपर बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे महिलाओं की इज्जत और हैसियत के साथ-साथ गुलामी भी बढ़ती जाती है। फर्जी और नक़ली तौर पर यह बताया जाता है कि वह आजाद है। यह बीमारी नीचे के तबकों में नहीं है। बच्चियों की भ्रूण हत्या छोटे लोग नहीं करते, आदिवासी लोग नहीं करते, दलित लोग नहीं करते और पिछड़े लोग भी नहीं करते। उनकी भ्रूण हत्या कौन करते हैं?

श्री उपसभाध्यक्ष (श्री सुखेन्दु शेखर राय) : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शरद यादव : मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आपके आदेश का मैं ठीक से पालन नहीं कर सका। बुनियादी बात यह है कि इस देश की महिलाओं को लिबरेट करना है। शरद यादव चूंकि अपनी मातृ संस्कृति का आदमी है, इसलिए मुझमें सच कहने की आदत है। याद रखना, इस देश की सारी समस्याओं की जड़ एक ही है, क्योंकि इस देश की मां गुलाम करके रख दी गई है और कैदखाना उसकी एक जाति ही है। उस कैदखाने को नहीं तोड़ोगे, तो फिर आप राज करते रहो,

68 बरस ही नहीं, हजारों बरस तक करते रहो, यह देश कभी नहीं बदलेगा। यह पराजय को ही प्राप्त करेगा। दुनिया में यह निगाह उठा करके नहीं देख सकता।

आप अमरीका की बात करते हैं, अमरीका का समाज समरस है। आप चीन की बात करते हैं, चीन में हान 95% हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

DR. T. N. SEEMA (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, I start my speech with an observation. The functions of the Ministry include promotion, survival, protection, development and participation of women and children in a holistic manner. And ensuring gender concern in the policies and programmes of the Government is also their responsibility. These specific roles make this Ministry different from and more important than other Ministries. But I have some genuine questions. Does the hon. Minister sincerely believe that her Ministry is playing this role? Does the Ministry hold a holistic approach to the issues of women and children in this country? Unfortunately, it is 'No', Sir. It is a junk of some piecemeal programmes with meagre funds. And it is not based on any gender policy. Frankly speaking, since the beginning of the first Five Year Plan in 1951, the Union Government has never had a gender perspective development plan. So I am not blaming this Government or this hon. Minister for that. The problem is with the basic approach itself since the first five Year Plan, when women have been considered as only mothers and homemakers. Women are not just that. Women are equal citizens playing important roles in the development of the society. They are not a homogeneous group. They belong to Minority groups; they belong to the S.Cs., S.Ts. and other Backward Classes. A majority of women face class, caste and gender discrimination in our country. So, the Ministry should have a holistic approach which considers the different roles of women in our society.

Sir, my second point is regarding Gender Budgeting process. The Union Government started Gender Budgeting process in 2008. Gender Budget is not a separate Budget for women, but it is used as a tool to identify the existing gender differences and discrimination in the development process. The Ministry of Women and Child Development is responsible for the coordination of Gender Budgeting process. They have done some studies and training programmes. It is true. But what is the status of Gender Budgeting now? No auditing, no interim monitoring of expenditure, no sex segregated data on different Ministries' programmes. I would request the hon. Minister to kindly ensure proper Gender Budgeting process in the coming years.

Sir, my third point is on ICDS. We know that the ICDS has a major share in the Budget of the Ministry of Women and Child Development, that is, more than 88 per cent. The ICDS, presently, covers almost half of the 16 crore children below six years in the country. In fact, the hon. Supreme Court had asked the Central Government several times

[Dr. T.N. Seema]

to expand the coverage of the ICDS so as to make it universal. But does the Ministry have any plan to expand the ICDS programme and make it universal? This is quite necessary. And the Centres must be set up, particularly, in areas where the S.C. and S.T. population is concentrated because we know that the malnutrition condition is very, very dangerous, especially, in tribal areas. Then, look at the staff strength of the ICDS. Many crucial posts are vacant now in the ICDS. Thirty-six per cent of the CDPOs' and 37 per cent of the Supervisors' posts – these are very crucial posts with the nodal responsibility of coordinating and implementing this programme – are lying vacant in the ICDS. Sir, the Ministry of Women and Child Development is supposed to take care of women in our society. But look at the condition of lakhs of women working under different schemes and missions in the Central Government, for example, ICDS; not only ICDS but NRHM, Mid-day Meal. Actually, they are the backbone of these programmes. But they are not considered as workers. Their hard work is not considered as work. The Ministry itself, who is supposed to be the nodal agency to take care of women, is exploiting the invisible work of women in this country. Sir, we have heard many times, and yesterday also, hon. Minister for Health was saying that these are voluntary works, this is social service. I wonder why only women are for voluntary work. Are men not interested in social work? Why only women? We say women have plenty of free time. Are they supposed to be born to do social service? No, Sir. Millions of women working under ICDS, NHRM and other Mid-day Meal programmes are working under acute poverty and they always expect that, today or tomorrow, they will get a decent wage. Last year, in the Indian Labour Conference, the Central Government, State Governments and Trade Unions came to a consensus that women working under ICDS and other schemes like NHRM and Mid-day Meal programmes will be considered as workers who are entitled to decent wage and other labour protection. If there was a consensus, why is Government still reluctant to implement that decision? My question, through you, Sir, is: Will the hpn. Minister consider implementing the decision of the last Indian Labour Conference?

My next point is on National Commission for Women. National Commission for Women in the Centre and State Commission for Women in the States have a crucial role to play in ensuring rights and justice to women. There is no doubt. But, Sir, are they equipped and strong enough to do this job? Unfortunately, no, Sir. We have seen that these days anybody can come with *fatwas* or derogatory statements on women. 'Don't use mobiles, don't wear jeans, don't go out alone, don't travel and don't make your own choice for marriage.' *Khap Panchayats* are really terrorizing the lives of women in this country. Who gave this power to the *Khap Panchayats*? These are not social institutions. These are not constitutional institutions. Why can't we ban the *Khap Panchayats*? They are questioning, they are oppressing and they are denying the democratic rights to women

in this country. Equal right for women is guaranteed in the Constitution itself. So whenever the Constitutional rights of women are questioned, it is the duty of National Commission for Women, and State Commissions too, to intervene and make sure that these kinds of regressive forces are stopped.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair*)

And more important is that the National Commission for Women should function independently without any political influence or any partiality. Sir, my fifth point is regarding implementation of law. My dear friend, hon. Member, Shri Derek, had raised that issue. We have passed many laws like the Prevention of Domestic Violence Act, the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressel) Act.

Many raised the issue about child sex ratio. Child sex ratio is deteriorating day-by-day. What about the implementation of PC & PNDT Act? So please look at the implementation of these Acts which we have passed as laws earlier. A single window, which provides a holistic package of services for women and girls in distress, is important. Sir, there is one programme under the Ministry of Women and Child Development, which has been implemented for the last 20 years. It is the *Rashtriya Mahila Kosh*. I think, it has a very less amount, not a big amount. This scheme is to provide credit to the poor women through SHGs. This Rashtriya Mahila Kosh would give funds to NGOs at the rate of 8 per cent interest and then the NGOs give credit to the poor SHGs at the rate of 18 per cent interest. The 10 per cent interest gap is the profit of the NGOs. Then, should we call it women empowerment? Actually, it is exploitation in the name of empowerment. So, my request to you, Madam, is to kindly reformulate this scheme so that the poor women, especially women belonging to SCs/STs/Minorities, can avail credit at the rate not higher than 2 per cent per annum.

Madam, women in this country need more sensible, realistic, gender-sensitive...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Madam is not in the Chair!

DR. T.N. SEEMA: Sir, I am so sorry. Actually, I was so happy to address somebody as Madam.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am sorry, I can't help you!

DR. T.N. SEEMA: Respected Sir, women in this country need more sensible, realistic, gender-sensitive approach in the programmes and functioning of the Ministry of Women and Child Development. No more sugar-coated promises and hollow dreams are sought. We need sincere and concrete intervention. If the hon. Minister is ready to take

[Dr. T.N. Seema]

brave steps, I am very sure that women in this country will wholeheartedly extend their full support to her activities. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for adhering to the time. Your allotted time was ten minutes and you finished your speech within ten minutes. Special thanks for that! I think, everybody should follow this good example.

Now, Shri Anubhav Mohanty.

श्रीमती जया बच्चन : सर, ये कलाकार आदमी हैं, इनको जो डायलॉग लिख कर दिया जाता है, उसको ये पढ़ते हैं।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: It is his maiden speech!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then he can take a maximum of fifteen minutes.

SHRI ANUBHAV MOHANTY (Odisha): Sir, I don't know how long will I get to speak because I am quite nervous since yesterday. I had a sleepless night yesterday, Sir.

Mr. Deputy Chairman, Sir, today is my maiden speech in this great, great Rajya Sabha and I am the youngest Member ever in the history of Rajya Sabha. And I am grateful to my hon. Chief Minister Shri Naveen Patnaik for blessing me with this.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you sure?

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Yes, Sir. I am thirty-two.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This is the House of Elders!

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Yes, Sir.

SHRI NARESH GUJRAL: He may be 32, but he is very mature.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Sir, I seek the blessings of you and all Members. All of us know that we are here to discuss something on the most important part of our country, the most important Ministry, that is, the Ministry of Women and Child Development. Sir, before speaking anything, I seek your permission to introduce myself in Oriya, which is my mother tongue. Sir, can I?

* I am an Odia lad with a pure heart and I salute all hon. Members of this august House with folded hands.

Sir, all of us know that a new Government has come into power. The entire nation, including me, repose great faith and has expectations on them. I strongly believe that this Government will not leave a single stone unturned to reciprocate the life of crores of innocent Indians who have voted them and made them rule. Sir, I also fear that this might

* Expuged as ordered by the Chair.

not be possible if we ignore the women and children of our country. India has 440 million children. About 27 million children are born each year. But, nearly 2 million children don't live up to the age of five! It is very strange, very shocking, but true. One of the major reasons behind this is malnourishment. Sir, this malnourishment begins when the child is in its mother's womb itself. It is a shame on us. We all say that we are from a developing country; we all say that we are going towards more development. But, what development, Sir, if the basic facilities are not available in hospitals during delivery of a child or birth of a child? To add to this, there is lack of trained doctors and lack of proper medical facilities. These things really make me very much tense. Even if I am a youngster, I don't have a child yet.

Sir, according to the World Bank Report on malnutrition in India, an astounding 47 per cent of children suffer from a varying degree of malnutrition. According to the Planning Commission data, 32 per cent of our population lives in utter poverty. Sir, we fail to realize somewhere that this malnourishment has some direct repercussions on the development of our country. But, Sir, malnourishment is not just the only problem that the children of our country face.

Another very big problem, I think, one of the biggest problems, that our children face is child labour. In simple, I can say, Sir, India has got the largest number of child labourers in this whole world. I just went through a survey... ...*(Interruptions)*... Sir, I am a film actor. A few minutes back, before starting my speech, one of my senior Members asked me as to why you have to speak on this because you are a film actor and you don't know much on this topic. But, I just want to tell everyone that this is not just a topic for only politicians or social workers. It is a topic for each and every one of us.

Sir, I would like to highlight the plight of several hundred children who are suffering and who are forced to work in hazardous industries, like fire-cracker manufacturing, brick kilns, etc. Despite the fact that employment of children under the age of 14 years is illegal in our country. ...*(Interruptions)*... Yes, it is prohibited. Still, it is habit mostly in *dhabas,* in restaurants, in small scale industries, paper manufacturing industries, etc. I don't have sufficient time to speak about everyone. But it is a shame on us that being responsible citizens of India, Sir, we, politicians or we, the Members of the Rajya Sabha, cannot do everything. The people of our nation have to realize the fact that everyone is responsible for this. We all should come forward for this.

Sir, as per the NSSO Survey of 2009-10, the number of working children in our country is estimated at a shocking 49.84 lakh. Some of you might say that it is a very small number. But, Sir, this estimation is not the real estimation. There are thousands of children whose plight goes unreported.

[Shri Anubhav Mohanty]

4.00 P.M.

Sir, at one point, we say that the children are the basic pillar of our nation, the children are our future, and children are the ones who are going to take this country forward. But, at the same time, we don't understand the real plight of small children who don't even know and don't even understand how to speak out their pain before any elder of this country. Sir, if this is the plight of the children now in our country, I wonder, we must ask ourselves where India will stand 20 years down the line. Sir, we all are privileged to be here. Sir, I have been watching this Rajya Sabha for a month; I am 35 days old in Rajya Sabha. But, I have been watching, Sir, whatever may be the issue in the House.

अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो we blame the Government. अगर हम Industrialisation की बात करते हैं we blame the Government. I am not saying this side Government or that side Government, I am saying in common, what I have been watching here for the last 35 days. But I just want to say कि यह सरकार है कौन? सर, आज नहीं कल शाम से मैं इस विषय पर चर्चा सुनता आ रहा हूं। सतीश जी ने इसकी शुरूआत की थी। आज मुझ पर अभी खत्म नहीं हुई, मेरे बाद भी काफी लोग बोलने वाले हैं। But still wonder जब कल से इस विषय पर डिस्कशन हो रहा है, इस तरफ से बोल रहे हैं कि हमने इतनी सुविधाएं बनाई थीं, इस तरफ से बोल रहे हैं कि वे सुविधाएं लोगों तक पहुंची नहीं थीं, सर हमको यह चीज समझनी चाहिए कि राजनीति हर चीज का हल नहीं होती है, हर चीज का सोल्यूशन नहीं होती है। Lakhs of meetings, seminars, conferences, debates like this may be held in any part of this world, thousands of saints, sages, educationalists, prophets, politicians may deliver speeches for hours together, yet this problem shall not have a solution. What is needed is consciousness, awareness and a habit of careful watch in each and every one of us. The time demands that we all should come forward breaking all the barriers of caste, creed community, religion, political party and stand for those crores and millions of children who believe कि उनके साथ कोई हो न हो, कम से कम राज्य सभा के 245 एम.पी. तो हैं, उसके अच्छे-बुरे के बारे में सोचने के लिए .... Sir, I am not just a politician. I am first a normal human being. मैं पॉलिटिक्स दिमाग से नहीं, दिल से करता हूं। *...(Interruptions)...* Why I said, *...(Interruptions)...* I apologise *...(Interruptions)...* अगर गलती से मेरे से कुछ गलत बोल दिया जाए। Sir, a few minutes back I was watching a few school children sitting there in the gallery watching us, listening on this great topic with a hope that they will definitely listen something good and a solution that will definitely come out which will be very, very fruitful and extremely good for them. I am really unfortunate that they are not here now. But still a few days back, all of us must be aware about a rape case in Bangalore of a school girl. Sir, we cannot just

blame the Government and we cannot just say, you are doing nothing, you are doing everything. We have to ask ourselves that what security we provide to our girl children in their schools, even in their homes and even in public places. अगर हमारे देश के बच्चे अपने ही घरों में, अपने ही स्कूलों, अपनी ही सड़कों पर सुरक्षित नहीं है तो क्या अगर वे देश के बाहर जाएं तो हमें खुशी होगी? इस उम्मीद पर जाएं कि हमें इस देश में सुरक्षा नहीं मिल रही? I wonder, Sir, if this continues then there will be nobody left even to vote us. We are in such a crisscross where we have to really think of and we have to judge what are the actual reasons is behind all these. Sir, I, Anubhav Mohanty, wholeheartedly say to the present Government and especially to the hon. Minister of Women and Child Development that if your commitments and your feelings towards the children and women of my country, our country are really genuine and true, then, I am with you, my entire State, Odisha, is with you. This is a message on behalf of my entire State to you. Madam Minister, I request you to pay proper attention to this topic and I also want to say कि बहुत विषयों पर चर्चा होती है और सदन भरा रहता है ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have two more minutes.

SHRI ANUBHAV MOHANTY: Okay, Sir. I will conclude before that. लेकिन इतने जरूरी विषय पर चर्चा के दौरान सदन में बहुत कम सदस्य मौजूद हैं। We should have all Members sitting here and discussing this very important issue. I would like to end my topic saying a quote, which I had read when I was a child, my father had taught me. As once the famous Elizabethan playwright, William Shakespeare, said in his famous play 'The Tempest' in the mouth of Miranda, 'A Brave New World', I strongly believe that the day when each and every child of our country will smile from his or her heart, then, this brave new world will be a Brave New India.

Jai Hind! Jai Jagannath!

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much for adhering to time.

Now, messages from the Lok Sabha.

MESSAGES FROM LOK SABHA

I. The Constitution (One Hundred and Twenty-first Amendment) Bill, 2014

II. The National Judicial Appointments Commission Bill, 2014

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha: